



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-23022022-233699
CG-DL-E-23022022-233699

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 141]
No. 141]

नई दिल्ली, मंगलवार, फरवरी 22, 2022/फाल्गुन 3, 1943
NEW DELHI, TUESDAY, FEBRUARY 22, 2022/PHALGUNA 3, 1943

पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 फरवरी, 2022

सा.का.नि. 144(अ).—अंतर्देशीय जलयान [पंजीकरण और अन्य तकनीकी मुद्दे] नियम, 2022 का मसौदा, जिसे केंद्र सरकार 2021 के अंतर्देशीय जलयान अधिनियम, 2021 (2021 का 24) के धारा 106 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बनाने का प्रस्ताव करती है, इसके द्वारा प्रभावित होने वाले सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है; और एतद्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त मसौदे पर उस तारीख से तीस दिनों के बाद विचार किया जाएगा जिस तारीख को राजपत्र में प्रकाशित इस अधिसूचना की प्रतियां जनता को उपलब्ध कराई जाती हैं;

इन मसौदा नियमों पर आपत्तियां या सुझाव, यदि कोई हों, निदेशक (आईडब्ल्यूटी), पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय, कमरा नंबर 439, परिवहन भवन, 1-संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001 को या abhay.sarode@gov.in और uttam.mishra27@gov.in ईमेल द्वारा भारत के राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना की प्रतियां, जनता को उपलब्ध कराने की तारीख से 30 दिनों की अवधि के भीतर संबोधित किया जा सकता है;

कथित मसौदा नियमों के संबंध में किसी भी व्यक्ति से विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर प्राप्त आपत्तियों या सुझावों पर केन्द्र सरकार द्वारा विचार किया जाएगा।

प्रारूप नियम

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ

- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम अंतर्देशीय जलयान (कर्मदिल और यात्री स्थान सुविधा) नियम 2022 है
- (2) ये राजपत्र में अपने अंतिम प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

2. विस्तार और उपयोजन

(1) कोई भी अन्तर्देशीय यांत्रिक रूप से चालित जलयान, जिसे अधिनियम की धारा 17 के तहत पंजीकृत होना आवश्यक है, किसी भी यात्रा पर नहीं जाएगा या किसी भी सेवा के लिए उपयोग नहीं किया जाएगा, जब तक कि उसके पास उसके संबंध में लागू पंजीकरण का प्रमाणपत्र न हो और जिसे अधिनियम की धारा 24 के तहत प्रदान किया गया हो।

(2) वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 1958 के तहत यांत्रिक रूप से चालित जलयान के संबंध में जारी रजिस्ट्री का प्रत्येक प्रमाणपत्र, अधिनियम के तहत जारी किए गए पंजीकरण के प्रमाणपत्र के रूप में मान्य और प्रभावी होगा और अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधान ऐसे जलयान के संबंध में लागू होंगे क्योंकि वे इन विनियमों और अधिनियम के तहत पंजीकृत यांत्रिक रूप से चालित अन्तर्देशीय जलयान पर लागू होते हैं।

3. परिभाषाएं –

(1) इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो -

(क) “अधिनियम” का तात्पर्य अन्तर्देशीय जलयान अधिनियम 2021 होगा।

(ख) “जांच” का तात्पर्य जलयान, उसकी मशीनरी और बोर्ड पर रखी वस्तुओं की जांच तथा जलयान के रिकार्डों का सत्यापन की प्रक्रिया है जिसे पंजीकरण के उद्देश्य के लिए पंजीकरण प्राधिकरण द्वारा किया जाएगा।

(ग) “प्रमुख परिवर्तन अथवा संशोधन” का तात्पर्य निम्नलिखित में से कोई भी है;

i) जलयान के सकल भार में 10 प्रतिशत से अधिक का बदलाव

ii) जलयान प्रकार में बदलाव

iii) प्रणोदन प्रणाली/ मुख्य इंजन/ ईंधन प्रकार में बदलाव

(घ) जलयान के मुख्य ड्राइंग का तात्पर्य निम्नलिखित है:

i) सामान्य व्यवस्था

ii) मुख्य ड्राइंगत योजना: जलयान का मध्य खंड, प्रोफाइल और डेक, शेल विस्तार

iii) प्रणोदन प्रणाली सहित मशीनरी लेआउट और ब्यौरा

(2) प्रयुक्त शब्द और अभिव्यक्तियां, जो इन नियमों में परिभाषित नहीं की गई हैं लेकिन अधिनियम में परिभाषित शब्दों और अभिव्यक्तियों का वही अर्थ होगा जो उन्हें अधिनियम में दिया गया है।

4. पंजीकरण हेतु आवेदन

यांत्रिक रूप से चालित किसी अन्तर्देशीय जलयान के पंजीकरण के लिए आवेदन प्रपत्र सं. 11 में जलयान के स्वामी / एजेंट या मालिक या निर्माता द्वारा किया जाएगा और इसमें ऐसे विवरण शामिल होंगे जो इन नियमों के नियम 7 द्वारा आवश्यक हैं।

5. पंजीकरण की प्रक्रिया

(1) राज्य में रजिस्ट्री के स्थान पर पंजीकृत होने के इच्छुक अन्तर्देशीय जलयान के स्वामी / एजेंट या मालिक या निर्माता पंजीकरण के लिए एक आवेदन करेंगे और संबंधित पंजीकरण प्राधिकरण को प्रस्तुत करेंगे:

(क) एक वक्तव्य कि इस अधिनियम के उपबंधों और नियमों का अनुपालन किया गया है;

(ख) निर्धारित प्रपत्र संख्या. 12 में यथा प्रयोज्य स्वामित्व की घोषणा

(ग) नए जलयान के लिए:

i. जलयान के निर्माता (निर्माता प्रमाणपत्र) द्वारा हस्ताक्षरित एक प्रमाणपत्र जिसमें उचित आयामों / विवरणों और जलयान के टनभार का एक सही ब्यौरा हो जैसा कि उसके द्वारा अनुमान लगाया गया था और उस समय और स्थान जहां जलयान का निर्माण किया गया था।

ii. जलयान के अनुमोदित मुख्य ड्राइंग के साथ सर्वेक्षण कर्ता द्वारा जारी जांच प्रमाणपत्र।

iii. यदि कोई नया जलयान निर्माणाधीन है तो निर्माता का प्रमाणपत्र जलयान के पूरा होने के पश्चात संबंधित संगठन द्वारा जारी किए जाने से पूर्व जमा किया जा सकता है।

(घ) प्रमुख परिवर्तन अथवा संशोधन के अध्यक्षीन जलयानों के मामलों में निर्माता का प्रमाणपत्र और जांच प्रमाणपत्र, जिसे जलयान के अनुमोदित मुख्य ड्राइंग के साथ सर्वेक्षणकर्ता द्वारा जारी किया गया हो, जमा किया जाए।

(ड.) बिक्री लिखत जिसके तहत उक्त जलयान की संपत्ति आवेदक को हस्तांतरित किया गया हो, उन्हें अपने नाम पर पंजीकृत किया जाना आवश्यक है (पुराने जलयान के लिए)।

(च) नामोद्दिष्ट प्राधिकरण यदि सर्वेक्षण संबंधी जारी किया गया प्रमाणपत्र का नकल अथवा सर्वेक्षण कर्ता द्वारा जारी कोई औपबंधिक प्रमाणपत्र।

(छ) ऐसे शुल्क के भुगतान के साक्ष्य की चलान रसीद।

(ज) बंधक संबंध ब्यौरा, यदि कोई हो।

(2) अन्तर्देशीय जलयानों [बीमा, देयता की सीमा, जांच और जांच, सेवा प्रदाताओं और सेवा उपयोगकर्ताओं और संबद्ध मामलों के दायित्व] नियम (2022) के अनुपालन में जारी किए गए बीमा प्रमाणपत्र की प्रतिलिपि तत्काल प्रस्तुत की जाएगी, जब जलयान को चलाने / व्यापार से पहले नियमों के अनुसार बीमा किया जाता है।

स्पष्टीकरण: उपर्युक्त उपनियम- (2) के प्रयोजनों के लिए, पंजीकरण किए जाने के बाद जलयान का बीमा किया जाएगा और बीमा कंपनी को जलयान के पंजीकरण का प्रमाण, सर्वेक्षण का प्रमाण पत्र और बीमा कंपनी द्वारा अनिवार्य ऐसे अन्य दस्तावेजों सहित पहचान दी जाएगी।

(3) इन नियमों के उद्देश्यों के लिए सर्वेक्षण प्रमाणपत्र की नकल नामोद्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा जारी किए जाने के तत्काल बाद जमा की जाएगी।

(4) जलयान के पंजीकरण के लिए आवेदन प्राप्त होने पर पंजीकरण प्राधिकारी रिकॉर्ड और केंद्रीय डेटा बेस से यह सुनिश्चित करने के बाद कि उसी नाम पर कोई अन्य जलयान नहीं है, उस नाम को अनुमोदित करेगा जिसके लिए अनुरोध किया गया है और एक बार नाम आवंटित होने के बाद, पंजीकरण प्राधिकरण जलयान के लिए एक आधिकारिक नंबर भी आवंटित करेगा, जिसे केंद्रीय डेटा बेस में दर्ज किया जाएगा।

बशर्ते कि पंजीकरण प्राधिकारी आवेदन की प्राप्ति की तिथि को अथवा उसके चौदह दिनों के बाद आवेदक के नाम का अनुमोदन करेगा।

(5) इन नियमों के अनुपालन में आवेदक द्वारा अपेक्षित विवरण और दस्तावेज प्रस्तुत करने के अध्यक्षीन, रजिस्ट्री के स्थान पर पंजीकृत होने का हकदार है, पंजीकरण प्राधिकारी आवेदक को प्रपत्र संख्या. 13 में निर्धारित प्रारूप में एक नोटिस देगा, जिसमें जलयान के संबंध में जांच के समय और तारीख को सूचित किया जाएगा।

(6) इन नियमों के तहत जांच के उद्देश्य के लिए नामोद्दिष्ट प्राधिकारी अथवा संबंधित राज्य सरकारों द्वारा नियुक्त अथवा प्राधिकृत अन्य ऐसा कोई व्यक्ति:

(क) ऐसी जांच के उद्देश्य के लिए जलयान अथवा इसके किसी भाग अथवा इसमें लगी किसी मशीनरी अथवा संगत किसी वस्तु की जांच कर सकता है;

(ख) जलयान के स्वामी अथवा मालिक से कोई भी रिकार्ड मांग सकता है और जहां तक ऐसी जांच के उद्देश्य के लिए ऐसे रिकार्डों का संबंध है, उनकी जांच कर सकता है; और

(ग) ऐसी जांच के उद्देश्य के लिए यथा उपयुक्त सहायता प्राप्त कर सकता है।

(7) इस नियम के तहत जांच के प्रयोजन के लिए, जलयान के, स्वामी, मालिक और चालक दल का प्रत्येक सदस्य जांच करने के लिए सभी उचित सुविधाएं प्रदान करेगा और ऐसी जानकारी भी प्रस्तुत करेगा जो उप-नियम (6) के तहत अधिकार प्राप्त प्राधिकरण द्वारा आवश्यक हो।

(8) यह सुनिश्चित करने पर कि आवेदक द्वारा इस नियम के तहत समेकित प्रक्रियाओं का अनुपालन किया गया है, पंजीकरण प्राधिकारी प्रपत्र संख्या 14 में यथा निर्धारित प्रारूप में एक नक्काशी और अंकन नोट जारी करेगा।

(9) नियम 9 के अध्यक्षीन नक्काशी और अंकन नोट निर्धारित तरीके से जलयान पर नक्काशी और अंकन करने के बाद पंजीकरण प्राधिकरण को वापस कर दिया जाएगा, जिसे एक सर्वेक्षक द्वारा प्रमाणित किया जाएगा।

(10) यह सुनिश्चित करने पर कि आवेदक ने इन नियमों का अनुपालन किया है, इस नियम में वर्णित रजिस्ट्री की आवश्यकताओं को पूरा करने में, पंजीकरण प्राधिकरण प्रपत्र संख्या 19 में ऐसे आवेदक द्वारा प्रदान किए गए अन्तर्देशीय पोत के विवरण को दर्ज करेगा।

6. पंजीकरण प्रमाणपत्र प्रदान करना

(1) यदि किसी अन्तर्देशीय यांत्रिक रूप से चालित जलयान के संबंध में, पंजीकरण प्राधिकारी, उपर्युक्त नियम 6 में दी गई ऐसी जांच करने के बाद, उचित समझे, तो और संतुष्ट हो कि अधिनियम के उपबंधों या इसके तहत बनाए गए किसी भी नियम का अनुपालन किया गया है, तो आवेदक को प्रपत्र संख्या 17 के अनुसार पंजीकरण प्रमाणपत्र प्रदान करेगा, जिसमें सर्वेक्षण प्रमाणपत्र या सर्वेक्षण के अनंतिम प्रमाणपत्र की नकल, निर्माता प्रमाणपत्र, बिक्री का साधन जिसके द्वारा जलयान बेचा गया था, और स्वामित्व की घोषणा होगी।

(2) पंजीकरण प्रमाणपत्र परंपरागत कागजी प्रमाणपत्र के स्थान पर इलेक्ट्रॉनिक रूप में भी हो सकता है।

(3) जब तक उपर्युक्त उपनियम (1) में अन्यथा विनिर्दिष्ट नहीं किया जाए, नामोद्दिष्ट प्राधिकारी:

(क) यांत्रिक रूप से चलित किसी भी अन्तर्देशीय जलयान, किसी पत्तन अथवा पंजीकरण स्थान के अलावा अन्य स्थान पर निर्मित हो, जो पंजीकरण के प्रयोजन के लिए ऐसे किसी पत्तन अथवा स्थान तक अन्तर्देशीय जलमार्गों के माध्यम से उनकी पहली यात्रा की अनुमति दे सकता है; अथवा

(ख) भारत में उस समय लागू किसी कानून के अंतर्गत पंजीकृत जलयान जिसके लिए इस अधिनियम के अंतर्गत उपबंध किए गए हैं, को अन्तर्देशीय जलमार्गों में यात्रा करने की अनुमति दे सकता है; अथवा

(ग) भारत के अलावा अन्य किन्हीं देशों के ऐसे कानूनों के तहत पंजीकृत यांत्रिक रूप से चलित किसी जलयान को समय-समय पर केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा विनिर्दिष्ट निबंधन व शर्तों के अधीन अन्तर्देशीय जलमार्गों में चलने की अनुमति दे सकता है।

(4) पंजीकरण प्रमाणपत्र को जारी करने को लंबित रखते हुए अधिनियम की धारा 27 के अनुसार एक अनंतिम पंजीकरण प्रमाणपत्र जारी किया जा सकता है और पंजीकरण के अनंतिम प्रमाणपत्र की वैधता की अवधि के दौरान, स्वामी, प्रचालन, मालिक या निर्माण यार्ड अधिनियम के अध्याय V के तहत पंजीकृत जलयान को पंजीकृत करने के लिए उठाए जाने वाले सभी आवश्यक कदमों को लागू करेगा और उनका अनुपालन करेगा।

(5) जलयान के स्वामी या मालिक का यह कर्तव्य होगा कि वह अधिनियम और नियमों के प्रवर्तन में शामिल प्राधिकारी द्वारा मांगे जाने पर पंजीकरण का प्रमाण पत्र या पंजीकरण का अनंतिम प्रमाण पत्र, जैसा कि मामला हो, प्रस्तुत करे।

(6) एक पंजीकरण प्राधिकारी किसी भी अन्तर्देशीय जलयान को पंजीकृत करने से इनकार कर सकता है, यदि वह यांत्रिक रूप से दोषपूर्ण पाया जाता है, या यदि आवेदक पंजीकरण के लिए आवेदन में किए गए किसी भी बयान के समर्थन में संतोषजनक सबूत प्रस्तुत करने में विफल रहता है, बशर्ते कि जहां पंजीकरण प्राधिकरण किसी भी अन्तर्देशीय यंत्र चालित जलयान को पंजीकृत करने से इनकार करता है, तो यह आवेदक को लिखित रूप में एक बयान प्रस्तुत करेगा जिसमें इस तरह के इनकार के कारण शामिल होंगे।

7. प्रमाणपत्र की नकल

(1) प्राधिकारी जिसने पंजीकरण प्रमाणपत्र जारी किया है, वह राज्य सरकार द्वारा निर्धारित शुल्कों के भुगतान के अधीन खोए हुए, नष्ट या विकृत प्रमाणपत्र को प्रतिस्थापित करने के लिए पंजीकरण के प्रमाणपत्र का एक नकल जारी करेगा।

(2) बशर्ते कि प्रमाणपत्र की ऐसा कोई नकल जारी नहीं की जाएगी यदि:

(क) खोए प्रमाणपत्र के मामले में पंजीकरण करने वाले प्राधिकारी की संतुष्टि के लिए यह साबित नहीं हो कि उक्त प्रमाणपत्र को ढूंढने के लिए सभी संभव उपाय कर लिए गए हैं;

(ख) विनष्ट प्रमाणपत्र के मामले में ऐसा प्राधिकारी उचित जांच के बाद संतुष्ट नहीं हो जाए कि प्रमाणपत्र वास्तव में विनष्ट हो गया है; और

(ग) विकृत प्रमाणपत्र के मामले में स्वामी ऐसे प्राधिकारी को वह प्रमाणपत्र दिखाता है।

(3) प्रमाणपत्र के प्रत्येक नकल के पृष्ठ पर लाल स्याही से 'नकल' शब्द का स्टाम्प लिखा होगा।

(4) मूल प्रमाणपत्र की प्राप्ति होने पर किसी नकल प्रमाणपत्र के जारी होने के बाद नकल प्रमाणपत्र को जारीकर्ता प्राधिकारी को वापस किया जाएगा जो उक्त प्रमाणपत्र को रद्द करेगा और इसे रिकार्ड करेगा।

8. यांत्रिक रूप से चालित जलयानों का मार्किंग

(1) जहां इस अध्याय के तहत एक अन्तर्देशीय जलयान पंजीकृत किया गया है, पंजीकरण प्राधिकारी ऐसे जलयान को निर्दिष्ट करेगा, जिसे उस पर स्पष्ट रूप से पंजीकरण चिह्न, रजिस्ट्री बंदरगाह और इस नियम में प्रदान किए गए ऐसे जलयान का नाम शामिल है।

(2) प्रत्येक पंजीकृत जलयान में इसके ढांचे पर निम्नलिखित पहचान चिह्न होंगे:-

(क) यांत्रिक रूप से चालित जलयान के प्रत्येक धनुष और स्टर्न पर जलयान का नाम अंकित किया जाएगा और बाजों / जलयानों के मामले में जो स्व-चालित नहीं हैं, प्रत्येक धनुष पर नाम और आधिकारिक संख्या अंकित की जाएगी;

(ख) पंजीकरण संख्या और पंजीकरण का वर्ष मुख्य अधिरचना और / या इंजन रूम बल्कहेड या अन्तर्देशीय जलयानों में मुख्य बीम पर अंकित किया जाएगा।

(ग) रजिस्ट्री स्थल अथवा बंदरगाह का नाम स्टर्न/ ट्रांसोम पर अंकित होगा।

(3) पहचान चिह्न को 25 मिमी चौड़े प्रत्येक अक्षर के साथ न्यूनतम 200 मिमी x 150 मिमी (ऊंचाई x चौड़ाई) से कम नहीं लिखा जाएगा और इसे काली पृष्ठभूमि पर या हल्के रंग की पृष्ठभूमि पर गहरे रंग में नक्काशीदार / चिह्नित / वेल्डे किया जाएगा।

(4) अन्तर्देशीय जलयानों के पंजीकरण चिह्नों को इसके मुख्य बीम या किसी भी स्थायी बल्कहेड पर एक प्रमुख स्थान पर नक्काशीदार / चिह्नित किया जाएगा।

(5) इसके अतिरिक्त, प्रत्येक जलयान को चित्रित किया जाएगा और एक निश्चित बोर्ड पर प्रदर्शित किया जाएगा, ऊपरी डेक पर निम्नलिखित जानकारी प्रदर्शित की जाएगी:-

(क) सकल टनभार;

(ख) यात्रियों की अधिकतम अनुमेय संख्या;

(ग) स्वामी का नाम;

(घ) अंतिम नवीकरण सर्वेक्षण तिथि;

(ड.) कार्गो जलयानों के मामले में भारयुक्त प्रारूप और पूर्णभार।

9. परिवर्तनों और संशोधनों का पंजीकरण

(1) कोई भी परिवर्तन या संशोधन जो जलयान की दृढ़ता, स्थिरता या सुरक्षा को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करता है, नामित प्राधिकरण के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा।

(2) जब किसी अन्तर्देशीय जलयान को इतना बदल दिया जाता है, जो उसके या पंजीकरण के प्रमाणपत्र में दर्ज विवरण से संबंधित विवरणों के अनुरूप नहीं हो तो; फिर जलयान का स्वामी, 30 दिनों के भीतर, उस स्थान के पंजीकरण प्राधिकारी को सर्वेक्षण के संबंधित प्रमाणपत्र के साथ इस तरह के परिवर्तन / संशोधनों की एक रिपोर्ट देगा जहां जहाज पंजीकृत है।

(3) उपर्युक्त उप-नियम (2) के तहत रिपोर्ट, प्रपत्र सं. 15 में की जाएगी और इसमें परिवर्तन या संशोधनों के संबंध में विवरण शामिल होंगे और रिपोर्ट के समय जलयान के संबंध में लागू पंजीकरण के प्रमाणपत्र के साथ होंगे।

(4) उप-नियम (2) के तहत रिपोर्ट प्राप्त होने पर और राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित निर्धारित शुल्क के भुगतान पर पंजीकरण प्राधिकारी, या तो परिवर्तन को पंजीकृत करने का कारण बनेगा या निर्देश देगा कि जलयान को नए सिरे से पंजीकृत किया जाए।

(5) प्राधिकारी यह तय करने में कि क्या पंजीकरण के प्रमाण पत्र में परिवर्तन या संशोधन दर्ज किए जाएंगे या क्या अन्तर्देशीय जलयान को एक नया पंजीकरण किया जाना चाहिए, निम्नलिखित विचारण द्वारा निर्देशित किया जाएगा:-

(क) जब कभी भी जलयान के ढांचे में कोई सामग्री परिवर्तन अन्तर्देशीय जलयान की लंबाई या चौड़ाई या गहराई को प्रभावित करता है या जहां भी एक सहायक इंजन को हटाने के अलावा सहित प्रणोदन के साधनों में परिवर्तन होता है, तो जलयान को नए पंजीकरण की आवश्यकता होगी।

(ख) जहां परिवर्तन में केवल संलग्न स्थान के आयामों में परिवर्तन, पूर या डेकहाउस आदि के अलावा या हटाने या अन्य समान परिवर्तनों की स्वीकृति या अस्वीकृति या चालक दल के स्थान में परिवर्तन शामिल है, पंजीकरण प्राधिकरण इस तरह के परिवर्तन को पंजीकरण के प्रमाणपत्र में दर्ज करने की अनुमति दे सकता है, बशर्ते यह निर्दिष्ट प्राधिकरण द्वारा सत्यापित किया गया हो कि जलयान की स्थिरता इस प्रकार खतरे में नहीं है।

(6) जहां पंजीकरण प्राधिकरण निर्देश देता है कि जलयान को नए सिरे से पंजीकृत किया जाए, यह या तो जलयान को परिवर्तित के रूप में वर्णित करने वाला एक अनंतिम प्रमाणपत्र प्रदान करेगा या मौजूदा प्रमाणपत्रों पर परिवर्तन के विवरण का समर्थन करेगा।

(7) उपर्युक्त उप-नियम (6) के तहत दिया गया कोई भी अनंतिम प्रमाणपत्र या समर्थन उसकी तारीख से नब्बे (90) दिनों की अवधि के लिए मान्य होगा, जिस अवधि के भीतर मालिक जलयान को नए सिरे से पंजीकृत करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएगा।

10. रजिस्ट्री का हस्तांतरण

यदि किसी अन्तर्देशीय यांत्रिक रूप से चालित जलयान का स्वामी जलयान के पंजीकरण के प्रमाणपत्र में दर्ज पते पर निवास करना या व्यवसाय करना बंद कर देता है, तो वह पते के परिवर्तन के तीस (30) दिनों के भीतर, अपने नए पते के बारे में पंजीकरण प्राधिकरण को सूचित करेगा जिसके द्वारा पंजीकरण का प्रमाणपत्र प्रदान किया गया था, या यदि नया पता उसी राज्य के भीतर किसी अन्य पंजीकरण प्राधिकरण के अधिकार क्षेत्र में है, और साथ ही पंजीकरण के प्रमाणपत्र को पंजीकरण प्राधिकारी को अग्रेषित करेगा ताकि नया पता उस पर दर्ज किया जा सके।

(1) जहां मूल पंजीकरण प्राधिकरण के अलावा कोई अन्य पंजीकरण प्राधिकरण ऐसी कोई प्रविष्टि करता है, तो वह मूल पंजीकरण प्राधिकरण को नए पते के बारे में बताएगा।

(2) जहां पंजीकरण को स्थानांतरित करने की मंशा है वहां, जलयान के स्वामी या मालिक द्वारा प्रपत्र संख्या. 16 में एक आवेदन को उस राज्य के पंजीकरण प्राधिकारी को प्रस्तुत करने पर किसी अन्तर्देशीय यांत्रिक रूप से चालित जलयान की रजिस्ट्री को एक राज्य में एक स्थान से दूसरे राज्य में दूसरे स्थान पर स्थानांतरित किया जा सकता है।

(3) उपर्युक्त उप-नियम (3) के अनुसार ऐसे आवेदन की प्राप्ति होने पर पंजीकरण प्राधिकारी उस स्थान के पंजीकरण प्राधिकारी को विधिवत रूप से लिखित रूप में अधिसूचित करेगा जहां जलयान मूल रूप से पंजीकृत है, जो एक पखवाड़े के भीतर या उससे पहले इस तरह के हस्तांतरण के लिए कोई आपत्ति या अन्यथा सूचित करेगा।

(4) जलयान के संबंध में पंजीकरण के प्रमाण पत्र आवेदन के साथ रजिस्ट्री के इच्छित स्थान के पंजीकरण प्राधिकारी को दिए जाएंगे।

(5) उप-नियम (3) और निर्धारित शुल्क के तहत आवेदन प्राप्त होने पर, रजिस्ट्री के इच्छित स्थान का पंजीकरण प्राधिकारी अपनी रजिस्टर बही में, जलयान से संबंधित सभी विवरणों को दर्ज करेगा और जलयान के संबंध में पंजीकरण का एक नया प्रमाणपत्र प्रदान करेगा और आगे से ऐसे जलयान को रजिस्ट्री के नए स्थान पर पंजीकृत माना जाएगा।

11. जलयान का हस्तांतरण

(1) यदि किसी जलयान को किसी व्यक्ति को स्थानांतरित कर दिया जाता है, चाहे वह राज्य के भीतर निवासी हो या नहीं, तो हस्तांतरणकर्ता और हस्तांतरिती पंजीकरण प्राधिकारी को हस्तांतरण की संयुक्त रिपोर्ट बनाएंगे, जिसके अधिकार क्षेत्र के भीतर हस्तांतरणकर्ता रहता है या ऐसे हस्तांतरण के तीस दिनों के भीतर व्यवसाय करता है, साथ ही चालान या जमा रसीद के साथ-साथ इस तरह के हस्तांतरण के लिए राज्य सरकार द्वारा निर्धारित शुल्क का भुगतान करता है।

(2) जलयान के संबंध में पंजीकरण का प्रमाणपत्र भी उप-नियम (1) में निर्दिष्ट रिपोर्ट के साथ सौंप दिया जाएगा ताकि स्वामित्व के हस्तांतरण का विवरण उस पर दर्ज किया जा सके।

बशर्ते कि जब रजिस्ट्री के हस्तांतरण में एक राज्य सरकार से दूसरे राज्य सरकार को स्थानांतरण शामिल होता है, तो आवेदन प्रपत्र संख्या. 16 में किया जाएगा जैसा कि नियम 11 के उप-नियम (3) में उपबंध किया गया है।

(3) हस्तांतरण की स्थिति में, पंजीकरण प्राधिकारी, केंद्रीय डेटाबेस में हस्तांतरिती के साथसाथ- हस्तांतरणकर्ता का विवरण दर्ज करेगा।

12. पंजीकरण को रद्द किया जाना

जब किसी भी पंजीकृत अन्तर्देशीय जलयान को लापता, नष्ट, खोया हुआ और परित्यक्त घोषित किया जाता है या सेवा के लिए स्थायी रूप से अयोग्य घोषित कर दिया जाता है, तो जलयान का मालिक ऐसी घटना के पंद्रह (15) दिनों के भीतर उस स्थान जहां उक्त जलयान का पंजीकरण हुआ है, वहां अन्तर्देशीय जलयान के रजिस्ट्रार को इस तथ्य की रिपोर्ट करेगा। उस मामले में जहां स्वामी यह तय करता है कि एक पंजीकृत अन्तर्देशीय जलयान को स्कैप या विघटित या विदेशों में बेचा जाना है, इस तरह के तथ्य को स्कैपिंग या विघटित करने या निष्पादित करने के शुरू होने से कम से कम पंद्रह (15) दिन पहले उस प्राधिकरण को सूचित किया जाना चाहिए। जलयान का पंजीकरण प्रमाणपत्र भी इस अधिनियम की धारा 32 के अनुसार पंजीकरण रद्दीकरण के लिए प्राधिकरण को सौंपा जाएगा।

13. यांत्रिक रूप से चालित अन्तर्देशीय जलयान अथवा शेयर का रेहन

(1) यांत्रिक रूप से चालित अन्तर्देशीय जलयान अथवा शेयर का रेहन -

(क) एक पंजीकृत अन्तर्देशीय यांत्रिक रूप से चालित जलयान या उसमें एक हिस्सा या ऋण को अन्य मूल्यवान विचारण हेतु एक प्रतिभूति के रूप में रखा जा सकता है, और प्रतिभूति बनाने वाला लिखत (जिसे रेहन कहा जाता है) निर्धारित प्रपत्र (प्रपत्र सं. 18) में होगा, और इस तरह के लिखत को सौंपने पर रजिस्ट्री के अन्तर्देशीय यांत्रिक रूप से चालित जलयानों के बंदरगाह का पंजीकरण प्राधिकरण इसे पंजीकरण बही में दर्ज करेगा और रजिस्ट्री के प्रमाणपत्र में इसे संलग्न किया जाएगा।

(ख) रेहन को पंजीकरण प्राधिकारी द्वारा उस क्रम में दर्ज किया जाएगा जिस में वे उस उद्देश्य के लिए उसे प्रस्तुत किए जाते हैं, और पंजीकरण प्राधिकरण, अपने तहत ज्ञापन द्वारा, प्रत्येक रेहन पर सूचित करेगा कि यह उसके द्वारा उस रिकॉर्ड के दिन और घंटे को बताते हुए दर्ज किया गया है।

(2) रेहन के निर्वहन की प्रविष्टि- जहां एक पंजीकृत रेहन का निर्वहन किया जाता है, पंजीकरण प्राधिकारी, रेहन विलेख के सौंपने पर, उसके साथ लगाए गए रेहन धन की रसीद के साथ, विधिवत हस्ताक्षरित और सत्यापित, पंजीकरण की बही में इस आशय से एक प्रविष्टि करेगा कि रेहन का निर्वहन किया गया है, और उस प्रविष्टि पर संपत्ति, यदि कोई हो, बनाई जा रही है जो रेहन को पारित किया गया है, तो वह उस व्यक्ति में निहित होगा जिसमें (हस्तक्षेप करने वाले कृत्यों और परिस्थितियों के संबंध में, यदि कोई हो) तो यह निहित होगा, यदि रेहन नहीं लगाया गया।

(3) रेहन की प्राथमिकता- यदि एक ही अन्तर्देशीय यंत्र चालित जलयान या शेयर के संबंध में दर्ज एक से अधिक रेहन हैं, तो रेहनधारकों को किसी भी अभिव्यक्त, अनुरोध या रचनात्मक नोटिस के बावजूद, उस तारीख के अनुसार प्राथमिकता होगी जिस पर प्रत्येक रेहन पंजीकरण बही में दर्ज किया गया है और प्रत्येक रेहन की तारीख के अनुसार नहीं।

(4) रेहनधारक को स्वामी नहीं माना जाता है- सिवाय इसके कि जहां तक रेहनयुक्त अन्तर्देशीय यांत्रिक रूप से चालित जलयान या शेयर को रेहन ऋण के लिए एक प्रतिभूति के रूप में उपलब्ध कराने के लिए आवश्यक हो, रेहनधारक को अपने रेहन के कारण, अन्तर्देशीय यांत्रिक रूप से चालित जलयान या शेयर का स्वामी नहीं माना जाएगा, और न ही रेहन को इसका स्वामी माना जाएगा।

(5) रेहनधारक के अधिकार -

(क) जहां एक अन्तर्देशीय यंत्र चालित जलयान या शेयर का केवल एक पंजीकृत रेहन है, वह रेहनयुक्त अन्तर्देशीय यांत्रिक रूप से चालित जलयान को बेचकर रेहन के तहत देय राशि की वसूली करने का हकदार होगा।

(ख) अथवा उच्च न्यायालय से संपर्क किए बिना शेयर। बशर्ते इस उप-धारा में निहित कोई बात रेहनधारक को उच्च न्यायालय में देय राशि की वसूली करने से नहीं रोकेगी, जैसा कि नीचे उप-धारा (ख) में उपबंधित है।

(ग) जहां एक अन्तर्देशीय यांत्रिक रूप से चालित जलयान या शेयर के दो या दो से अधिक पंजीकृत रेहन हैं, वे उच्च न्यायालय में रेहन के तहत देय राशि की वसूली करने के हकदार होंगे, और डिक्री पारित करते समय या उसके बाद उच्च न्यायालय निर्देश दे सकता है कि रेहन अन्तर्देशीय यांत्रिक रूप से चालित जलयान या शेयर डिक्री के निष्पादन में बेचा जाए।

(घ) किसी अन्तर्देशीय यांत्रिक रूप से चालित जलयान या शेयर का प्रत्येक पंजीकृत रेहन जो रेहन के तहत देय राशि को प्राप्त करने का इरादा रखता है, जो ऊपर दिए गए खंड (क) के तहत रेहन अन्तर्देशीय यांत्रिक रूप से चालित जलयान या शेयर बेचकर रेहन के तहत देय राशि की वसूली करने का इरादा रखता है, रजिस्ट्री के अन्तर्देशीय यांत्रिक रूप से चालित जलयानों के बंदरगाह के पंजीकरण प्राधिकरण को ऐसी बिक्री से संबंधित पंद्रह दिनों की अग्रिम सूचना देगा।

(ड.) खंड (घ) के तहत नोटिस के साथ उस जलयान पर उनके रोजगार के संबंध में चालक दल को देय सभी मजदूरी और अन्य राशियों के भुगतान का प्रमाण होगा।

(6) रेहन दिवालियापन से प्रभावित नहीं होता- एक अन्तर्देशीय यंत्रचालित पोत या शेयर का एक पंजीकृत रेहन ऐसे बंधक के रिकॉर्ड की तारीख के बाद रेहनदार द्वारा किए गए दिवाला के किसी भी कार्य से प्रभावित नहीं होगा, इसके बावजूद कि रेहनकर्ता, अपने दिवालियापन के प्रारंभ में, अन्तर्देशीय यंत्र रूप से चालित जलयान या उसके कब्जे वाला शेयर आदेश या निक्षेप, या उसके प्रतिष्ठित स्वामी था, और रेहन को दिवालिया या किसी भी ट्रस्टी या संपत्ति भागी के अन्य लेनदारों के किसी भी अधिकार, दावे या ब्याज के लिए तरजीह दी जाएगी।

(7) रेहन का हस्तांतरण—

(क) एक अन्तर्देशीय यांत्रिक रूप से चालित जलयान या शेयर का एक पंजीकृत रेहन किसी भी व्यक्ति को हस्तांतरित किया जा सकता है और हस्तांतरण को प्रभावित करने वाला लिखत निर्धारित प्ररूप में या उसके पास के रूप में परिस्थितियों की अनुमति के रूप में होगा, और ऐसे लिखत को दिए जाने पर, पंजीकरण प्राधिकरण इसे अन्तर्देशीय यांत्रिक रूप से चालित जलयान या शेयर के रेहन के रूप में हस्तांतरणकर्ता का नाम पंजीकरण बही में दर्ज करके इसे रिकार्ड करेगा और अपने हाथ के तहत जापन द्वारा, हस्तांतरण के लिखत पर सूचित करें कि यह रिकॉर्ड के दिन और घंटे को बताते हुए उसके द्वारा दर्ज किया गया है।

(ख) जिस व्यक्ति को ऐसा कोई रेहन हस्तांतरित किया।

स्पष्टीकरण 1: किसी जलयान अथवा इसके हिस्से कारेहन संबंधी लिखत प्रपत्र संख्या 18 में होगा।

स्पष्टीकरण 2: किसी रेहन अथवा इसके हिस्से के स्थानांतरण का लिखत प्रपत्र संख्या 19 में होगा।

स्पष्टीकरण 3: रेहन के पालन संबंधी लिखत प्रपत्र संख्या 20 में होंगे।

[फ़ा. सं. आईडब्लूटी-11011/91/2021-आईडब्लूटी]

सुनील कुमार सिंह, सलाहकार (सांख्यिकी)

अनुबंध 1

प्रपत्रों की सूची

प्रपत्र 10: पंजीयन बही

प्रपत्र 11: पंजीकरण हेतु आवेदन

प्रपत्र 12: स्वामित्व की घोषणा

प्रपत्र 13: पंजीकरण प्राधिकरण द्वारा अन्तर्देशीय जलयान की जांच की तिथि और समय को नियत किया जाना।

प्रपत्र 14: कार्विंग एवं मार्किंग नोट

प्रपत्र 15: परिवर्तन संबंधी पंजीकरण हेतु आवेदन

प्रपत्र 16: रजिस्ट्री के स्थानांतरण हेतु आवेदन

प्रपत्र 17: पंजीकरण प्रमाणपत्र

प्रपत्र 18: गिरवी रखने संबंधी लिखत

प्रपत्र 19: व्यक्तिगत रूप से अथवा संयुक्त स्वामियों द्वारा गिरवी हस्तांतरण संबंधी लिखत

प्रपत्र 20: गिरवी छुड़ाने हेतु लिखत

प्रपत्र 21: पंजीकरण के औपबंधिक प्रमाणपत्र के लिए आवेदन

प्रपत्र 22: पंजीकरण का औपबंधिक प्रमाणपत्र

अनुबंध - 1

प्रपत्र

प्रपत्र सं. 10

पंजीयन बही

पंजीकरण संख्या: _____

जलयान का नाम _____

रजिस्ट्री पत्तन _____ रजिस्ट्री वर्ष _____

स्वामी का नाम _____

स्वामी का पता _____

अन्तर्देशीय जलयान का विवरण

कार्गो जलयान / यात्री जलयान आदि का प्रकार _____ श्रेणी _____

सकल भार _____ पंजीकृत भार _____

जलयान का ब्यौरा

संपूर्ण लंबाई _____ संपूर्ण चौड़ाई _____ जलयान के डेक के भीतर और बगल की गहराई _____ निर्माता
का नाम और पता निर्माण वर्ष _____ हल वुड, स्टील आदि का प्रकार _____ डेकों की संख्या _____
बल्क हेड की संख्या _____

संव्यवहार

उस व्यक्ति का नाम जिससे यह स्वत्वाधिकार प्रभावित शेरों की संख्या पंजीकरण की तिथि और घंटे
लिया गया है _____

इंजिन

आंतरिक दहन इंजिन संख्या. _____

विवरण _____

सेटों की संख्या _____

द्वारा निर्मित _____

निर्माण वर्ष _____

प्रति सेट सिलेंडरों की संख्या _____

सिलेंडर का व्यास (इंच में) _____

स्ट्रोक (इंच में) _____

एन.एच.पी. _____ बी.एच.वी. _____ आई.एच.पी. _____

प्रणोदन

प्रणोदक प्रकार: एकल स्कू/ दोहरा स्कू/ साइड क्वार्टर/ चालन योग्य रडर प्रणोदक/विओथ/ वाटर जेट/ ओबिएम आदि. _____

प्रति मिनट घूर्णन (आरपीएम) _____ जलयान की गति _____

गियर युक्त प्रणोदन अथवा प्रत्यक्ष चलित _____

प्रणोदन प्रकार: ऑयल इंजिन/ विद्युत/ बैट्री/ सोलर/ अन्य (जो संगत नहीं हो उसे काट दें)

पंजीकरण प्राधिकरण
तिथि _____

पंजीकरण के उत्तरवर्ती

संव्यवहार की प्रकृति और तिथि

नाम, आवास और पेशा

अंतरिती रेहन अथवा हकदारी अथवा अधिकार प्राप्त करने वाले अन्य व्यक्ति के संव्यवहार की संख्या

प्रपत्र सं. 11

पंजीकरण हेतु आवेदन

सेवा में

पंजीकरण प्राधिकरण,

मैं,.....

निवासी.....

अन्तर्देशीय जलयान का स्वामी होने के नाते

एतद्वारा अनुरोध करता हूं कि उक्त जलयान का में पंजीकरण किया जाए।

मैं इन नियमों के तहत शुल्क देने के लिए सहमत हूं। उक्त जलयान के संबंध में विवरण निम्नवत् है: -

1. स्वामी का पूरा नाम और पता
 2. व्यवसाय
 3. स्वामी का नाम और उसके प्रमाणपत्र की संख्या
 4. पंजीकरण का नाम और संख्या, यदि पूर्व में पंजीकृत हो
 5. कब और कैसे जलयान प्राप्त किया गया
 6. जलयान का प्रकार यथा मोटर, इंजिन निर्माता का नाम और पता और साथ ही होर्स पावर, गति और निर्माण वर्ष
 7. स्थान और निर्माण वर्ष सहित निर्माताओं का नाम और पता
 8. बीमा प्रमाणपत्र का ब्यौरा संलग्नक:-
- क) स्वामी द्वारा वक्तव्य कि इस अधिनियम के उपबंध और इनके नियमों को समेकित किया गया है; सर्वेक्षण प्रमाणपत्र की नकल/ सर्वेक्षण का औपबंधक प्रमाणपत्र;
- ख) जलयान के प्रमाणपत्र के लिए इस अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट ऐसे शुल्कों के भुगतान की चलान रसीद साक्ष्य।
- ग) जलयान के तृतीय पक्ष बीमा प्रमाणपत्र की विधिवत् हस्ताक्षरित प्रति
- घ) नए जलयानों के लिए निर्माता का प्रमाणपत्र
- ङ.) बिक्री लिखत (पुराने जलयानों के लिए)
- च) रेहन संबंधी ब्यौरा (प्रपत्र संख्या 19 और प्रपत्र संख्या 20)
- छ) स्वामित्व की घोषणा (पत्र संख्या 12)

स्थान:

तिथि:

जलयान के स्वामी का हस्ताक्षर

प्ररूप सं. 12

स्वामित्व की घोषणा

मैं/हम _____

_____ स्थायी रूप से निवासी _____

जिनके व्यवसाय का स्थान है _____

एतद्वारा घोषित करता हूं कि इस नाम का जलयान _____ जिसका निर्माण स्थल है _____ निर्माण का वर्ष _____ और इसे मेरे द्वारा इस तारीख को खरीदा गया इसका मूल्य रूपए _____ है और इसे अपने नाम पर _____ पत्तन में पंजीकृत करना चाहता हूं और मैं ही इसका स्वामी हूं।

स्वामी के हस्ताक्षर

घोषणा _____ 20 के _____ दिन को उक्त नाम _____ द्वारा इनकी उपस्थिति में की गई _____।

मजिस्ट्रेट/नोटरी पब्लिक/पंजीकरण प्राधिकारी के हस्ताक्षर

टिप्पणी :- घोषणा किसी पंजीकरण प्राधिकारी, मजिस्ट्रेट अथवा नोटरी पब्लिक के समक्ष की जाएगी।

प्ररूप सं. 13

पंजीकरणकर्ता प्राधिकारी द्वारा जलयान के निरीक्षण के लिए तारीख और समय निर्दिष्ट किया जाना

तारीख:

संदर्भ सं.:

सेवा में,

अंतर्देशीय जलयान के स्वामी/मास्टर

महोदय/महोदया,

अंतर्देशीय जलयान अधिनियम 2021 के अंतर्गत उक्त नाम के जलयान के पंजीकरण के लिए आपके आवेदन की पावती सूचना देते हुए, यह सूचित किया जाता है पंजीकरण प्राधिकारी/सर्वेयर जलयान के फलक पर _____, 20 को उपस्थित होंगे।

आपसे अनुरोध है कि अंतर्देशीय जलयान के पंजीकरण के लिए पंजीकरण प्राधिकारी/सर्वेयर को सभी युक्तियुक्त सुविधाएं और जलयान के संबंध में ऐसी सभी जानकारी उपलब्ध कराएं जो उन्हें पंजीकरण के प्रयोजन के लिए अपेक्षित हो।

भवदीय

पंजीकरण प्राधिकारी

अंतर्देशीय जलयान

प्ररूप सं. 14**कार्विंग और मार्किंग नोट**

तारीख:

संदर्भ सं.:

सेवा में,

अंतर्देशीय जलयान के स्वामी/मास्टर

महोदय/महोदया,

यह पत्र उक्त नाम के जलयान के पंजीकरण के लिए आपके आवेदन और इन नियमों के नियम 6 के अंतर्गत संचालित किए गए जलयान की पश्चातवर्ती पृष्ठताछ के संदर्भ में है। आपको परामर्श दिया जाता है कि आप इन नियमों के नियम 9 के अनुसार जलयान के हल पर निम्नलिखित चिह्न अंकित करें:

जलयान का नाम:

अधिकारिक सं. _____

पंजीकरण का पत्तन: _____ पंजीकरण का वर्ष: _____

आपको आगे यह परामर्श दिया जाता है कि अपेक्षित अंकन की समाप्ति के उपरांत जलयान के पंजीकरण के प्रयोजनार्थ

अंतिम निरीक्षण के लिए इस कार्यालय से संपर्क करें (जो किसी भी स्थिति में इस पत्र के जारी किए जाने से 15 दिन के बाद नहीं होना चाहिए)।

कृपया यह भी नोट करें कि पंजीकरण प्रमाण-पत्र को जारी किए जाने के समय पर आपके द्वारा यह अंकन नोट मूल रूप में वापस लौटाना जाना अपेक्षित है।

भवदीय

पंजीकरण प्राधिकारी

अंतर्देशीय जलयान

प्ररूप सं. 15

परिवर्तन के पंजीकरण के लिए आवेदन

सेवा में,

पंजीकरण प्राधिकारी,

महोदय/महोदया,

मैं,

नामित अधिकारिक सं. _____ के अंतर्देशीय जलयान का स्वामी होने के नाते एतद्वारा सूचित करता हूँ कि जलयान में निम्नलिखित परिवर्तन किए गए हैं

1. _____

2. _____

3. _____

अतः, मैं परिवर्तनों को पंजीकृत करने/नया पंजीकरण प्रमाण-पत्र जारी करने के लिए आवेदन कर रहा हूँ। मैं एतद्वारा आवश्यक शुल्क को जमा किए जाने को दर्शाने वाले ट्रेजरी चालान के डुप्लीकेट प्रति संलग्न कर रहा हूँ।

मैं एतद्वारा मूल पंजीकरण प्रमाण-पत्र सं.----- भी संलग्न कर रहा हूँ।

तारीख _____

(स्वामी के हस्ताक्षर)

परिवर्तन सत्यापनकर्ता (सर्वेयर का नाम और हस्ताक्षर)

तारीख:

प्ररूप सं. 16

पंजीकरण के स्थानांतरण के लिए आवेदन

सेवा में,

पंजीकरण प्राधिकारी

मैं, _____ निवासी _____

अंतर्देशाय जलयान नाम _____ अधिकारिक सं. _____ का
स्वामी होने के नाते एतद्वारा अनुरोध करता हूं कि उक्त जलयान का पंजीकरण पंजीकरण
प्राधिकारी _____ के रजिस्टर से _____ राज्य के पंजीकरण प्राधिकरण के रजिस्टर में
कर दिया जाए। पंजीकरण प्रमाण-पत्र एतद्वारा संलग्न है।

_____ रु. का ट्रेजरी चालान भी संलग्न है।

स्थान

तारीख _____

स्वामी के हस्ताक्षर

प्ररूप सं. 17

**पंजीकरण का प्रमाण-पत्र
जलयान के विवरण**

जारीकर्ता[पंजीकरण प्राधिकारी के विवरण]

अधिकारिक संख्या	जलयान का नाम	पंजीकरण सं., तारीख और पत्तन	पूर्व पंजीकरण सं., तारीख और पत्तन (यदि कोई है)
क्या भारतीय है या विदेश निर्मित	क्या स्व-प्रणोदित है या प्रणोदक प्रकार का	कहां निर्मित हुआ	निर्माताओं का नाम और पता
डेकों की संख्या स्टेम स्टेन सामग्री विवरण बल्कहेडों की संख्या	लम्बाई बाहरी प्लेटिंग की चौड़ाई मोल्डेड गहराई इंजन – कक्ष की लम्बाई (यदि कोई है)	मीटर	

प्रणोदक इंजनों और मशीनरी के विवरण, जैसीकि निर्माताओं, स्वामियों या इंजन निर्माताओं द्वारा आपूर्ति की गई है

इंजन के सेटों के संख्या	इंजनों के विवरण	क्या भारतीय निर्माण है या विदेशी	कब निर्मित हुआ	निर्माता का नाम और पता	प्रत्यागामी इंजन		घूर्णन इंजन	बी.एच.पी. जलयान की अनुमानित गति
					प्रत्येक सेट में सिलेंडरो की संख्या	सिलेंडरो का व्यास	प्रत्येक सेट में सिलेंडरो की संख्या	

शाफ्टों की संख्या		इंजन	इंजन	इंजन		
					स्ट्रोक की लंबाई	
बॉयलरों के विवरण वर्णन..... संख्या..... भारित दबाव.....						

टनभार के विवरण

इस जलयान का टनभार भारतीय टनभार प्रमाण-पत्र के अनुरूप इस प्रकार है:-

सकल टनभारटन

निवल टनभार टन

इस जलयान के लिए टनभार का विस्तृत विवरण सर्वेक्षण के प्रमाण-पत्र में दर्शाया गया है

--

कर्मिंदल की संख्या जिनके लिए स्थान-सुविधा प्रमाणित की गई है

मैं, अधोहस्ताक्षरी,राज्यकेबंदरगाह पर पंजीकरण करने वाला प्राधिकारी, एतद्वारा यह प्रमाणित करता हूँ कि जिस पोत का विवरण मेरे प्रमाण पत्र के आगे लगा हुआ है, उसका विधिवत सर्वेक्षण किया गया है, और यह कि उपरोक्त विवरण रजिस्टर बुक के अनुसार है; यह कि जिसकी सेवा की योग्यता का प्रमाण-पत्र संख्या है, उक्त पोत का मास्टर है, और यह कि नाम, स्वामी का निवास और विवरण....., और उसके द्वारा धारित दसवें शेयरों की संख्या इस प्रकार है:-

स्वामी का नाम आवास और व्यवसाय	दसवें शेयर की संख्या

तारीख..... दिनदो हजार.....

..... पंजीकरण प्राधिकारी

नोटिस - रजिस्ट्री का प्रमाण-पत्र विलेख का दस्तावेज नहीं है। इसमें स्वामित्व के सभी परिवर्तनों की सूचना अनिवार्य रूप से शामिल नहीं है, और किसी भी मामले में इसमें जलयान को प्रभावित करने वाले किसी भी बंधक का आधिकारिक रिकॉर्ड नहीं है। स्वामित्व के किसी भी परिवर्तन के मामले में सभी पक्षों के हितों की सुरक्षा के लिए यह महत्वपूर्ण है कि परिवर्तन को विधि के अनुसार पंजीकृत किया जाना चाहिए। स्वामित्व, पते या अन्य पंजीकृत विवरणों में परिवर्तन की सूचना पंजीकरण प्राधिकारी को दी जानी चाहिए। क्या पोत वास्तव में या रचनात्मक रूप से खो गया है, दुश्मन द्वारा लिया ले गया है, जला दिया गया है या टूट गया है या किसी भी कारण से यह भारतीय जलयान के रूप में बंद हो गया है, जिसका नोटिस, साथ ही रजिस्ट्री का प्रमाण पत्र यदि अस्तित्व में है, तुरंत पंजीकरण प्राधिकारी को दिया जाना चाहिए जिसके लिए रजिस्ट्री के बंदरगाह पर दंड का भुगतान किया जाएगा जो XXXX रुपये तक हो सकता है।

प्ररूप सं. 18

गिरवी सृजित करने वाला लिखत

जलयान का नाम _____ अधिकारिक सं. _____

पंजीकरण प्रमाण-पत्र सं. _____ पंजीकरण का स्थान _____

पंजीकरण की तारीख _____

जलयान का वर्णन (क्या यांत्रिक शक्ति द्वारा प्रणोदित है _____ इंजन की
होर्सपावर: _____)

हल (पहचान के लिए लम्बाई:)

उपकरण:

नौका	लम्बाई	चौड़ाई	गहराई
सं. 1			
सं. 2			
सं. 3			

सकल पंजीकृत टनभार _____ निवल पंजीकृत टनभार _____

सर्वेक्षण प्रमाण-पत्र और रजिस्ट्री की बही में अधिक विवरण से वर्णित किया गया है।

मैं/हम अधोहस्ताक्षरी (बंधक अथवा बंधकों के विवरण के साथ पूरा नाम और पता)

इस दिन द्वारा (पूरा नाम, पता और बंधकग्राही का विवरण, यदि संयुक्त बंधकग्राही संबंधित हैं, तो उनका वर्णन किया जाएगा, यदि बंधकग्राही एक कंपनी है, तो उसका पूरा नाम और पता दिया जाएगा) दिए गए बंधक पर विचारण करते हुए,

मैं/हम.....

एतद्वारा के साथ मेरे/हमारे और मेरे/हमारे वारिसों, निष्पादनकर्ताओं अथवा प्रशासकों की ओर से प्रसंविदा करता हूं।

प्रथमतः, वह (पूरा नाम और पता, बंधककर्ता या बंधककर्तों के विवरण सहित) या मेरा/हमारे वारिस, निष्पादक, या प्रशासक, उक्त को उस पर प्रतिशत की दर से उस पर ब्याज के साथ प्रति वर्ष (मूल राशि के भुगतान के लिए नियत दिन डालें) आगामी..... को उक्त राशि भुगतान करेंगे।

दूसरे, यदि उक्त मूलधन का भुगतान उक्त दिन (पूरा नाम और पता बंधककर्ता या बंधककर्ताओं के वर्णन सहित) पर नहीं किया जाता है या मेरे/हमारे वारिस, प्रशासकों के निष्पादक की ओर से उसी रूप में या उसका कोई भाग असंदत्त रहता है, उक्त को प्रति वर्ष संपूर्ण या उसके ऐसे भाग पर ब्याज, जो फिलहाल बकाया रह सकता है, बराबर आधा.प्रतिशत की दर से..... के दिन को वार्षिक भुगतान.....तथा हर साल भुगतान करेगा और उक्त को बेहतर रूप से प्राप्त करने के लिए उक्त मूल राशि और ब्याज का पूर्वोक्त तरीके से पुनर्भुगतान करेगा।

मैं/हम (पूरा नाम और पता बंधककर्ता या बंधककर्ताओं के वर्णन सहित) एतद्वारा उक्त के..... शेयर जिनके ऊपर अंतर्देशीय पोत में स्वामी विशेष रूप से वर्णित हैं,

और उसकी नौका और साज-सज्जा को बंधक रखता हूँ.

अंत में, मैं/हम अपने लिए/हमारे लिए और मेरे / हमारे वारिसों, निष्पादकों या प्रशासकों के लिए उक्त और उनके समनुदेशितों के साथ अनुबंध करते हैं कि मुझे/हमारे पास उपर्युक्त शेयरों को गिरवी रखने की शक्ति है, और यह कि वे किसी भी भार से मुक्त है (यदि कोई पूर्व भार है, तो स्पष्ट करें, "उक्त पोत के पंजीकरण की पुस्तक द्वारा प्रकट होने के अलावा")।

इसके साक्षी में, मैंने/हमने यहां अपना/अपना नाम सब्सक्राइब किया है और मुहर इस दिनसंलग्न की है (पूरा नाम और पता बंधककर्ता या बंधककर्ताओं के वर्णन सहित) को सील करें और..... की उपस्थिति में उपरोक्त नाम से निष्पादित किया है।

साक्षी 1 (नाम, पूरा पता और हस्ताक्षर, मुहर)

साक्षी 2 (नाम, पूरा पता और हस्ताक्षर, मुहर)

बंधककर्ता (कंपनी या निगमित निकाय द्वारा) (मूलधन और ब्याज प्राप्त करने के लिए)

पोत का नाम..... आधिकारिक संख्या.....

रजिस्ट्री का प्रमाण-पत्र संख्या..... रजिस्ट्री का स्थान.....

रजिस्ट्री की तिथि.....

पोत का विवरण (चाहे पूरी तरह से या आंशिक रूप से बिजली, भाप या अन्य यांत्रिक शक्ति द्वारा चालित है):..... इंजन की हॉर्स पावर:.....

हल (पहचान के लिए लंबाई.....)

उपकरण:

नौका	लम्बाई	चौड़ाई	गहराई
सं.1			
सं.2			
सं.3			

सकल पंजीकृत टनभार..... निवल पंजीकृत टनभार..... और

जैसा कि सर्वेक्षण के प्रमाण-पत्र और रजिस्ट्री की बही में अधिक विवरण के साथ वर्णित किया गया है.

हम, (कंपनी का पूरा नाम इसके व्यवसाय के प्रमुख स्थान के साथ) हमें..... (पूरा नाम, पता और बंधक का विवरण, यदि संयुक्त बंधकों का संबंध है, तो उनका वर्णन किया जाएगा, यदि गिरवीदार एक कंपनी है, पूरा शीर्षक और पता दिया जाएगा) ने एतद्वारा अपने लिए और हमारे उत्तराधिकारियों ने उक्त के साथ अनुबंध किया है, और उसके/उनके/उसके समनुदेशितियों को सबसे पहले, कि हम या हमारे उत्तराधिकारी, उक्त को भुगतान करेंगे..... या उसके/ उनके/उसके द्वारा की उक्त राशि को समनुदेशित किया जाता

है, तो हमारे द्वारा उसे एक साथ उस परप्रतिशत की दर से ब्याज के साथ, प्रति वर्ष (मूलधन के भुगतान के लिए नियत दिन का उल्लेख करें) अगले के बाद के दिन के अनुसार भुगतान किया जाएगा; और

दूसरे, यदि उक्त दिन मूलधन का भुगतान नहीं किया जाता है, हम या हमारे उत्तराधिकारी, उस समय के दौरान जो वही है या उसके किसी भाग का भुगतान नहीं किया जाता है, उक्त को या उसके/उनके निर्देशितियों को सम्पूर्ण राशि पर या उसके तत्समय असंदत्त भाग के लिए.....के.....दिन को..... प्रतिशत ब्याज., प्रति वर्ष की दर से, के दिन समान अर्ध-वार्षिक भुगतान द्वारा और..... को हर साल भुगतान करेंगे; और उक्त.....मूलधन और ब्याज के उपरोक्त तरीके से पुनर्भुगतान करने के लिए हम एतद्वाराशेयर, जिनके हम जलयान में स्वामी हैं, जिनके विवरण ऊपर वर्णित किए गए हैं और उसकी नौकाओं और उपकरणों को गिरवी रखते हैं।

अंत में, हम अपने और अपने उत्तराधिकारियों के लिए उक्त..... के साथ और उसका / उनके / इसके निर्देशितियों के साथ प्रसंविता करते हैं कि हमारे पास उपरोक्त उल्लिखित शेयरों को गिरवी रखने की शक्ति है और यह कि वे ऋणभार से मुक्त हैं। (यदि कोई पूर्व ऋणभार है, तो उसका उल्लेख करें, "उक्त जलयान के पंजीकरण की बही द्वारा प्रकट किए गए को छोड़कर")

इसके साक्षी में हमने के दिन.....को यह अपनी सामान्य मुहर लगाई है और की सामान्य मुहरकी उपस्थिति (गवाहों का विवरण, निदेशक, सचिव जैसा भी मामला हो) इसके साथ में लगा दी गई है।

प्ररूप सं. 19

व्यक्तिविशेष अथवा संयुक्त स्वामियों द्वारा बंधक अंतरण सृजित करने वाला लिखत

मैं/हम जिनका उल्लेख इस प्रकार है पुत्र

..... इस पर विचार करते हुए

.....इस दिन मुझे/हमें.....द्वारा संदत्त, एतद्वारा

उसे/उन्हें/इसे लिखित प्रतिभूति के भीतर..... लाभ अंतरित करता/करते हूँ/हैं।

इसके साक्षी रहते हुए मैंने/हमने एतद्वारा अपना/हमारा.....नाम सब्सक्राइब किया है

और मैंने/हमने अपनी मुहरइस दिन लगा दी या और इनकी उपस्थिति में (कम-से-कम दो साक्षियों के नाम, पता और हस्ताक्षर) उक्त नामित

व्यक्तियों को निष्पादित कर दिया है।

(कंपनी द्वारा अथवा निगमित निकाय द्वारा)

इसमें उल्लिखित ने इसके विचारण में..... इस दिन इसका संदायद्वारा कर दिया है और एतद्वारा उसे/उन्हें/इसे इस लिखित प्रतिभूति के भीतर लाभ अंतरित करता हूँ।

इसके साक्षी रहते हुए हमें अपनी साझा मुहर इस पर के दिन लगा दी है।

.....की साझी मुहर इनकी उपस्थिति में लगाई गई (कम-से-कम दो साक्षियों, निदेशको, सचिव, जैसा भी मामला हो, के हस्ताक्षर)

टिप्पणी - बंधक के अंतरण के मामले में इसे उपर्युक्त प्ररूपों में पृष्ठांकन द्वारा किया जाएगा।

प्ररूप सं. 20

बंधक का उन्मोचन सृजित करने वाला लिखत

बंधक संदत्त किए जाने के मामले में, इसके उन्मोचन के ज्ञापन के लिए निम्नलिखित प्ररूपों का प्रयोग किया जाना चाहिए।

वैयक्तिक अथवा संयुक्त स्वामियों द्वारा

लिखित प्रतिभूति के भीतर इसके उन्मोचन मेंरु. की राशि प्राप्ति की, दिनांक

.....दिन,20

(*) न्यूनतम दो साक्षियों का नाम और हस्ताक्षर.

कंपनियों अथवा निगमित निकाय द्वारा

लिखित प्रतिभूति के भीतर उन्मोचन के लिए की राशि प्राप्त की.

इसके साक्षी रहते हुए हमें अपनी साझा मुहर इस पर के दिन लगा दी है.

.....की साझी मुहर इनकी उपस्थिति में लगाई गई (कम-से-कम दो साक्षियों, अर्थात् निदेशक, सचिव हस्ताक्षर)

प्ररूप सं. 21

पंजीकरण के अनंतिम प्रमाण-पत्र के लिए आवेदन

सेवा में,

पंजीकरण प्राधिकारी

मैं,.....

निवासी.....

अंतर्देशीय जलयानका स्वामी/मास्टर होने के नाते

एतद्वारा अनुरोध करता हूं किकारण (णों) से उक्त जलयान अनंतिम रूप से पंजीकृत किया जाए औरपर पंजीकरण का अनंतिम प्रमाण-पत्र जारी किया जाए।

मैं उस शुल्क का भुगतान करने के लिए सहमत हूं, जो इन नियमों के अंतर्गत संदेय है। उक्त जलयान के विवरण निम्नानुसार हैं:

1. स्वामी का नाम और पूरा पता
2. व्यवसाय
3. मास्टर का नाम और उसका प्रमाण-पत्र सं. (यदि लागू है)
4. रजिस्ट्री का नाम और संख्या, यदि पहले पंजीकृत है
5. जलयान कब और कैसे प्राप्त किया गया
6. जलयान का प्रकार अर्थात् मोटर, इंजन निर्माताओं का नाम और पता, हॉर्स पावर, गति और निर्माण के वर्ष सहित.
7. निर्माताओं का नाम और पता तथा निर्माण का स्थान और वर्ष
8. बीमा प्रमाण-पत्र के विवरण संलग्नक :-
 - i. स्वामी द्वारा वक्तव्य कि अधिनियम और इन नियमों के उपबंधों का अनुपालन किया गया है; सर्वेक्षण प्रमाण-पत्र की डुप्लीकेट प्रति;
 - ii. चालान रसीद जो इस बात का साक्ष्य है कि जलयान के पंजीकरण के लिए अनुसूची में यथानिर्दिष्ट शुल्क का भुगतान कर दिया गया है।
 - iii. जलयान के थर्ड पार्टी बीमा प्रमाण-पत्र की सम्यक रूप से प्रमाणित प्रति।
 - iv. नए जलयानों के लिए निर्माता का प्रमाण-पत्र।
 - v. विक्रय का लिखत (सेकेण्ड हैंड जलयानों के लिए)
 - vi. गिरवी किए जाने के विवरण (प्ररूप सं. 19 और प्ररूप सं. 20)
 - vii. स्वामित्व की घोषणा (प्ररूप सं. 12)

स्थान:

तारीख:

जलयान के स्वामी/मास्टर के हस्ताक्षर

प्ररूप सं. 22

पंजीकरण का अनंतिम प्रमाण-पत्र

समाप्ति दिन.....20 को या उससे पूर्व (देखिए पाद-टिप्पणी 1)

जारीकर्ता[पंजीकरण प्राधिकारी के विवरण]

जलयान के विवरण

जलयान का नाम	निर्माण स्थान	पूर्व रजिस्ट्री की सं., तारीख और पत्तन (यदि कोई है)	क्या प्रणोदित/प्रणोदक प्रकार का है
निर्माता का नाम और पता			
डेकों की संख्या	लम्बाई		मीटर
स्टेम	प्लेटिंग के बाहर चौड़ाई		
स्टेम	मोल्डेड गहराई		
सामग्री विवरण	इंजन-कक्ष की लम्बाई (यदि कोई है)		
बल्कहेडों की संख्या			

प्रणोदक इंजनों और मशीनरी के विवरण, जैसी निर्माता, स्वामी या इंजन निर्माता द्वारा आपूर्ति की गई है.

इंजनों की संख्या:

संयुक्त पावर:

इंजन निर्माता का नाम और पता :

टनभार के विवरण

भारतीय टनभार प्रमाण-पत्र के अनुसार इस जलयान का टनभार है:-

सकल टनभार.....टन

सर्वेक्षण के प्रमाण-पत्र पर दर्शाए गए इस जलयान के लिए टनभार का विस्तृत विवरण

कर्मिंदल की संख्या जिनके लिए सुविधा-स्थान प्रमाणित किया गया है

मैं, अधोहस्ताक्षरी,राज्य के बंदरगाह पर पंजीकरण करने वाला प्राधिकारी यह प्रमाणित करता हूँ कि अंतर्देशीय जलयान जिसका विवरण इस अनंतिम प्रमाण-पत्र से पहले लगा हुआ है, का विधिवत सर्वेक्षण किया गया है, और यह कि उपरोक्त विवरण सत्य है; कि जिसकी सेवा योग्यता का प्रमाण-पत्र संख्या.....है, उक्त जलयान का मास्टर है, और यह कि नाम, मालिक का निवास और विवरण....., और उसके द्वारा धारित दसवें शेयरों की संख्या इस प्रकार है:-

स्वामी का नाम, आवास और व्यवसाय	दसवें शेयर की संख्या

तारीख..... दिनमाह दो हजार और

.....पंजीकरण प्राधिकारी

टिप्पणी 1:- IV अधिनियम 2021 की धारा 27(2) के उपबंधों के अंतर्गत जारी रजिस्ट्री का यह अनंतिम प्रमाण-पत्र.....20 के दिन... तक लागू होना जारी रहेंगे।

MINISTRY OF PORTS, SHIPPING AND WATERWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd February, 2022

G.S.R. 144(E).—The draft of the Inland Vessels [Registration and other Technical issues] Rules 2022, which the Central Government proposes to make, in the exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 106 of the Inland Vessels Act of 2021(24 of 2021), is hereby published for the information of all persons likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft shall be taken into consideration after thirty days from the date on which the copies of this notification as published in the Official Gazette are made available to the public;

Objections or suggestions, if any, to these draft rules may be sent to the Director (IWT), Ministry of Ports, Shipping & Waterways, Room No. 439, Transport Bhawan, 1-Parliament Street, New Delhi-110001, or by email at abhay.sarode@gov.in and uttam.mishra27@gov.in within the period specified above;

The objections or suggestions which may be received from any person concerning the said draft rules, within the period so specified will be considered by the Central Government.

DRAFT RULES

1. Short Title Commencement

- (1) These Rules shall be called the Inland Vessels (Registration and other Technical issues) Rules 2022.
- (2) They shall come into force on the date of their final publication in Official Gazette.

2. Scope and Application

- (1) Any inland mechanically propelled vessel, which is required to be registered under Section 17 of the Act shall not proceed on any voyage or be used for any service, unless it has a certificate of registration in force in respect thereof and granted under Section 24 of the Act.
- (2) Every certificate of registry issued in respect of a mechanically propelled vessel under the Merchant Shipping Act, 1958, shall be valid and effective as a certificate of registration issued under the Act and the relevant provisions of the Act shall apply in relation to such vessel as they apply to an inland mechanically propelled vessel registered under these regulations and the Act.

3. Definitions

(1) In these rules, unless the context otherwise requires,—

- (a) “Act” means Inland Vessels Act 2021(24 of 2021).
- (b) “enquiry” means the process of inspection of the vessel, her machinery and articles on board as well as and verification of records of the vessel by the registering authority for the purpose of registration.
- (c) “Major conversion or modification” means any of the following;
 - i) Change in Gross Tonnage of the vessel by more than ten per centum
 - ii) Change of vessel type
 - iii) Change of propulsion system/ main engines/ type of fuel
- (d) Main Drawings of the vessel means the following:
 - i) General Arrangement
 - ii) Main Structural plans: Midship section, Profile and Decks, Shell expansion
 - iii) Machinery layout and details including propulsion system

(2) Words and expressions used and not defined in these rules but defined in the Act, shall have the meanings respectively assigned to them in the Act.

4. Application for registration

An application for registration of an inland mechanically propelled vessel shall be made by the owner/agent or master or builder of the vessel in Form No. 11 and shall contain such particulars as required by Rule 7 of these Rules.

5. Procedure for registration

(1) The owner/agent or master or builder of an inland vessel wishing to have it registered at a place of registry in the State shall make an application for registration and submit to the concerned Registering Authority:

- (a) A statement that the provisions of the Act and these rules have been complied with;
- (b) A declaration of ownership – in the prescribed Form No. 12, as applicable
- (c) For new vessel:
 - i. a certificate signed by the builder (builder’s certificate) of the vessel containing a true account of the proper dimensions/particulars and of the tonnage of the vessel as estimated by him and the time and the place where the vessel was built.
 - ii. Inspection certificate issued by the surveyor along with approved main drawings of the vessel.
 - iii. In case of a new vessel under construction the builder’s certificate may be submitted forthwith upon issue by the respective organization after the completion of the vessel.
- (d) In the case of vessels subjected to major conversion or modification , builder’s certificate and inspection certificate issued by the surveyor along with approved main drawings of the vessel.
- (e) The instrument of sale under which the property of the vessel was transferred to the applicant who requires it to be registered in his name, (for second hand vessel).
- (f) A duplicate of the certificate of survey if issued by the designated authority or provisional certificate of survey issued by the Surveyor
- (g) Challan receipt evidencing payment of such fees
- (h) Details of mortgage, if any.

(2) Copy of certificate of insurance, issued in compliance with the Inland Vessels [Insurance, Limitation of Liability, Inquiry and Investigations, Obligations of Service Providers and Service Users and Allied Matters] Rules (2022) shall be submitted forthwith, when the vessel is insured as per Rules before plying/trading.

Explanation: For the purposes of sub-rule (2) above, the vessel shall be insured after registration is done and insurance company is given the identity including the proof of registration of the vessel, certificate of survey and such other documents mandated by the insurance company.

(3) For the purposes of these Rules, the Duplicate of Certificate of Survey shall be submitted forthwith when issued by the designated authority.

(4) The Registering Authority on receipt of the application for registration of the vessel, shall approve the name that has been requested for, only after ensuring from records and Central Data Base that there is no other vessel in the same name and once the name is allotted, the Registering Authority shall also allot an official number for the vessel, which shall be recorded in the Central Data Base

Provided that the Registering authority shall communicate the approval of name to the applicant on or after fourteen days from the date of receipt of the application.

(5) Subject to submission of the requisite details and documents by the Applicant in compliance with these Rules, is entitled to be registered at the place of registry, the Registering Authority shall give a notice to the applicant in format as prescribed in Form No. 13, informing the time and date of the enquiry in respect of the vessel.

(6) For the purpose of enquiry under these rules, the designated authority or such other person appointed or authorised by the respective State Governments may:

- (a) inspect the vessel or any part thereof or any machinery therein or any article therein relevant to the purpose of such enquiry;
- (b) call for any record from the owner or master of the vessel and examine it in so far as such records are relevant for the purpose of such enquiry and
- (c) have such assistance as it deems fit for the purpose of such inspection

(7) For the purpose of enquiry under this Rule, the owner, the master and every member of the crew of the vessel shall provide all reasonable facilities for conducting the enquiry and shall also furnish such information as may be required by the authority empowered under sub-rule (6).

(8) Upon ascertaining that the procedures enumerated under this Rule have been complied with by the applicant, the Registering Authority shall issue a carving and marking note in the format as prescribed in Form No. 14.

(9) Subject to Rule 9, the carving and marking note shall be returned to the Registering Authority after carrying out the carving and marking on the vessel in the prescribed manner, which shall be certified by a Surveyor.

(10) Upon ascertaining that the applicant has complied with these Rules, in completing the requirements for registry as described in this Rule, the Registering Authority shall enter the particulars of the inland vessel as provided by such applicant in Form No. 19.

6. Grant of certificate of registration

(1) If, in respect of any inland mechanically propelled vessel, the registering authority, after making such inquiry as provided in Rule 6 above, thinks fit, is satisfied that the provisions of the Act or of any rules made hereunder have been complied with, shall grant to the applicant thereof a certificate of registration as per Form No. 17 retaining the duplicate of Certificate of Survey or provisional certificate of Survey, builders certificate, instrument of sale by which the vessel was sold, and the declaration of ownership.

(2) The certificate of registration may also be in electronic form, in place of conventional paper certificate.

(3) Notwithstanding anything contained in sub-rule (1) above, the designated authority may:

- (a) permit any mechanically propelled inland vessel, built at any place other than a port or place of registry, to make her first voyage through the inland waters to any such port or place for the purpose of registration; or
- (b) permit the vessel registered under any law for the time being in force in India for which provisions have been made under this Act to conduct voyage within the inland waters; or
- (c) permit any mechanically propelled vessel registered under such laws of countries other than India to ply within the inland waters, subject to terms and conditions as may be specified by the Central Government, from time to time.

(4) A provisional certificate of registration may be issued in accordance with Sec 27 of the Act pending issuance of the certificate of registration and during the period of validity of the provisional certificate of registration, the owner, operator, master or construction yard shall implement and comply with all necessary steps to be taken to have the vessel registered under Chapter V of the Act.

(5) It shall be the duty of the owner or master of the inland vessel to produce Certificate of Registration or provisional certificate of registration as the case may be on demand by authority engaged in the enforcement of Act and rules.

(6) A registering authority may refuse to register any inland vessel, if she is found to be mechanically defective, or if the applicant fails to furnish satisfactory evidence in support of any of the statements made in the application for registration, provided that where the registering authority refuses to register any inland mechanically propelled vessel, it shall furnish to the applicant a statement in writing containing the reasons for such refusal.

7. Duplicate of the certificate

(1) The authority which has issued the certificate of registration, shall issue a duplicate of the certificate of registration to replace a certificate lost, destroyed or mutilated, subject to payment of such fees as prescribed by the State Government.

(2) Provided that no such duplicate certificate shall be issued unless:

(a) in the case of a certificate lost, it is proved to the satisfaction of the Registering Authority that all measures possible for tracing out the certificate have been exhausted;

(b) in the case of a certificate destroyed, such authority is satisfied after due enquiry that the certificate has actually been destroyed; and

(c) in the case of mutilated certificate, the owner delivers up such certificate to such authority.

(3) Every duplicate of the certificate shall, on the face of it, be stamped with the word 'Duplicate' in red ink.

(4) Subsequent to the issuance of a duplicate certificate, if the original certificate is found, the latter shall be delivered up to the issuing authority that shall cancel the certificate and record the same.

8. Marking of Inland mechanically propelled vessels

(1) Where an inland vessel has been registered under this Chapter, the registering authority shall assign to such vessel, to be displayed thereon conspicuously registration mark comprising of registration number, port of registry and name of such Vessel as provided in this Rule.

(2) Every registered vessel shall bear the following identification marks on its hull;-

(a) Name of vessel shall be inscribed on each bow and stern of the mechanically propelled vessel And in the case of barges/vessels which are not self- propelled , the name and official number shall be inscribed on each bow;

(b) Registration number and year of registration shall be inscribed on the main superstructure and /or engine room bulkhead or main beam in the inland vessels.

(c) Place or Port of registry shall be inscribed on the stern / transom.

(3) The identification mark shall be inscribed not less than 200mm x 150mm (height x breadth) with each letter 25mm wide and shall be carved/marked/welded in light colour on a dark background or in a dark colour on a light background.

(4) Inland Vessels registration marks shall be carved / marked on its main beam or any permanent bulkhead at a prominent place.

(5) Additionally, every vessel shall be painted and displayed on a fixed board, exhibited on the upper deck, the following information;

(a) Gross tonnage;

(b) maximum permissible number of passengers ;

(c) name of the owner ;

(d) date of last renewal survey.

(e) loaded draft and deadweight tonnes in case of cargo vessels.

9. Registration of alterations and modifications

(1) No alteration or modification which significantly affects the strength, stability or safety of the vessel shall be made without the prior approval of the Designated Authority.

(2) When an inland vessel is so altered, as not to correspond with the particulars relating to her or the description entered in the certificate of registration; then the owner of the vessel shall, within 30 days, make a report of such alteration/modifications to the registering authority of the place where the vessel is registered, along with the respective certificate of survey.

(3) The report under sub-rule (2) above, shall be made in Form No. 15 and shall contain particulars with respect to the alteration or modifications and shall be accompanied by the certificate of registration in force in respect of the vessel at the time of the report.

(4) The registering authority, on receipt of the report under sub-rule (2) and on payment of the prescribed fee as notified by the state government, shall either cause the alteration to be registered or direct that the vessel be registered anew.

(5) The registering authority in deciding whether alteration or modifications will be entered in the certificate of registration or whether the inland vessel should be registered a new shall be guided by the following considerations:-

(a) Whenever any material alteration is made in the hull affecting the length or breadth or depth of the inland vessel or wherever there is alteration in the means of propulsion including addition or removal of an auxiliary engine the vessel shall require new registration.

(b) Where the alteration consists merely of a change in the dimensions of enclosed space, the addition or removal of poop or deckhouse etc. or an allowance or disallowance or crew space of other similar change, the registering authority may allow such alteration to be entered into the certificate of registration, provided it is verified by the designated Authority that the stability of the vessel is not endangered thereby.

(6) Where the registering authority directs that the vessel be registered anew, it shall either grant a provisional certificate describing the vessel as altered or endorse the particulars of the alteration on the existing certificates.

(7) Any provisional certificate granted or endorsement made under sub-rule (6) above shall be valid for a period of Ninety (90) days from the date thereof, within which period the owner shall cause all necessary steps to be taken to have the vessel registered anew.

10. Transfer of registry

(1) If the owner of an inland mechanically propelled vessel ceases to reside or carry on business at the address recorded in the certificate of registration of the vessel, he shall, within thirty (30) days of the change of address, intimate his new address to the registering authority by which the certificate of registration was granted, or if the new address is within the jurisdiction of another registering authority within the same State, to that registering authority, and shall at the same time forward the certificate of registration to the registering authority in order that the new address may be entered thereon.

(2) Where a registering authority other than the original registering authority makes any such entry, it shall communicate the new address to the original registering authority.

(3) The registry of an inland mechanically propelled vessel may be transferred from one place in a State to another place in another State, on submission of an application in Form No. 16 by the owner or master of the vessel to the registering authority of the State to which the registration is intended to be transferred.

(4) On receipt of such application as per sub-rule (3) above, the registering authority shall duly notify the registering authority of the place where the vessel is originally registered, in writing, who shall communicate no objection or otherwise to such transfer within a fortnight or earlier.

(5) The certificates of registration in respect of the vessel shall be delivered up to the registering authority of the intended place of registry along with the application.

(6) On receipt of the application under sub-rule (3) and the prescribed fee, the registering authority of the intended place of registry shall enter in its register book, all the particulars relating to the vessel and grant a fresh certificate of registration in respect of the vessel and henceforth such vessel shall be considered as registered at the new place of registry.

11. Transfer of vessel

(1) If a vessel is transferred to any person, whether resident within the State or not, the transferor and the transferee shall make joint report of the transfer to the registering authority within whose jurisdiction the transferee resides or carries on business within thirty days of such transfer along with a challan or deposit receipt evidencing payment of fees as prescribed by the state government for such transfer.

(2) The certificate of registration in respect of the vessel shall also be surrendered along with the report referred to in sub-rule (1) in order that the particulars of the transfer of the ownership may be entered thereon.

Provided that when transfer of registry involves transfer from one State Government to another, application shall be made in Form No. 16 as provided in sub-rule (3) of Rule 11.

(3) In the event of transfer, the registering authority shall record the details of the transferor as well as the transferee in the Central Data Base.

12. Cancellation of Registration

When any registered inland vessel is declared missing, destroyed, lost, abandoned or has been rendered permanently unfit for service, the owner of the vessel shall report the fact to the Registrar of Inland Vessels of the place where the vessel is registered within fifteen (15) days of occurrence of such event. In the case where the Owner decides that a registered inland vessel is to be scrapped or dismantled or sold abroad, such fact is to be reported to that authority at least fifteen (15) days in advance of commencement of scrapping or dismantling or executing such sale. The certificate of registration of the vessel shall also be surrendered to that Authority for cancellation of registration according to Section 32 of the Act.

13. Mortgage of mechanically propelled inland vessel or share**(1) Mortgage of inland mechanically propelled vessel or share –**

- (a) A registered inland mechanically propelled vessel or a share therein, may be made a security for a loan or other valuable consideration, and the instrument creating the security (called mortgage) shall be in the prescribed form (Form no 18), and on the production of such instrument the Registering Authority of the inland mechanically propelled vessels port of registry shall record it in the Book of Registration and endorse the same in the Certificate of Registry.
- (b) Mortgages shall be recorded by the Registering Authority in the order in time in which they are produced to him for that purpose, and the Registering Authority shall, by memorandum under his hand, notify on each mortgage that it has been recorded by him stating the day and hour of that record.

(2) Entry of discharge of mortgage— Where a registered mortgage is discharged, the Registering Authority shall, on the production of the mortgage deed with a receipt for the mortgage money endorsed thereon, duly signed and attested, make an entry in the Book of Registration to the effect that the mortgage has been discharged, and on that entry being made the estate, if any, which passed to the mortgagee shall vest in the person in whom (having regard to intervening acts and circumstances, if any) it would have vested, if the mortgage had not been made.

(3) Priority of mortgages— If there are more mortgages than one recorded in respect of the same inland mechanically propelled vessel or share, the mortgagees shall, notwithstanding any express, implied or constructive notice, have priority according to the date on which each mortgage is recorded in the Book of Registration and not according to the date of each mortgage itself.

(4) Mortgagee not deemed to be owner— Except in so far as may be necessary for making a mortgaged inland mechanically propelled vessel or share available as a security for the mortgage debt, the mortgagee shall not, by reason of his mortgage, be deemed to be the owner of the inland mechanically propelled vessel or share, nor shall the mortgagor be deemed to have ceased to be owner thereof.

(5) Rights of Mortgagee—

- (a) Where there is only one registered mortgagee of an inland mechanically propelled vessel or share, he shall be entitled to recover the amount due under the mortgage by selling the mortgaged inland mechanically propelled vessel
- (b) or share without approaching the High Court. Provided that nothing contained in this sub-section shall prevent the mortgagee from recovering the amount so due in the High Court as provided in sub-section (b) below.
- (c) Where there are two or more registered mortgagees of an inland mechanically propelled vessel or share they shall be entitled to recover the amount due under the mortgage in the High Court, and when passing a decree or thereafter the High Court may direct that the mortgaged inland mechanically propelled vessel or share be sold in execution of the decree.
- (d) Every registered mortgagee of an inland mechanically propelled vessel or share who intends to recover the amount due under the mortgage by selling the mortgaged inland mechanically propelled vessel or share under clause (a) above shall give, an advance notice of fifteen days relating to such sale to the Registering Authority of the inland mechanically propelled vessels port of registry.
- (e) The notice under clause (d) above shall be accompanied with the proof of payment of all wages and other amounts due to crew in connection with their employment on that vessel.

(6) Mortgage not affected by insolvency— A registered mortgage of an inland mechanically propelled vessel or share shall not be affected by any act of insolvency committed by the mortgagor after the date of the record of such mortgage, notwithstanding that the mortgagor, at the commencement of his insolvency, had the inland mechanically propelled vessel or share in his possession, order or disposition, or was the reputed owner thereof, and the mortgage shall be preferred to any right, claim or interest therein of the other creditors of the insolvent or any trustee or assignee on their behalf.

(7) Transfer of mortgages—

- (a) A registered mortgage of an inland mechanically propelled vessel or share may be transferred to any person and the instrument effecting the transfer shall be in the prescribed form or as near thereto as circumstances permit, and on the production of such instrument, the Registering Authority shall record it by entering in the Book of Registration the name of the transferee as mortgagee of the inland mechanically propelled vessel or share and shall, by memorandum under his hand, notify on the instrument of transfer that it has been recorded by him stating the day and hour of the record.
- (b) The person to whom any such mortgage has been transferred shall enjoy the same right of preference as was enjoyed by the transferor.

Explanation 1: Instrument creating a mortgage of a vessel or a share therein shall be in Form No. 18.

Explanation 2: Instrument creating a transfer of a mortgage or a share therein shall be in Form No. 19.

Explanation 3: Instrument creating the discharge of mortgage shall be in Form No. 20.

[F. No. IWT-11011/91/2021-IWT]

SUNIL KUMAR SINGH, Adviser (Statistics)

Annex 1

List of Forms

Form 10: Book of Registration

Form 11: Application for Registration

Form 12: Declaration of Ownership

Form 13: Appointment of Date and Time of Inspection of the Inland Vessel By the Registering Authority

Form 14: Carving and Marking Note

Form 15: Application for Registration of Alteration

Form 16: Application for Transfer of Registry

Form 17: Certificate of Registration

Form 18: Instrument creating Mortgage

Form 19: Instrument creating Transfer of Mortgage By Individual or Joint Owners

Form 20: Instrument creating Discharge of Mortgage

Form 21: Application of Provisional Certificate of Registration

Form 22: Provisional Certificate of Registration

ANNEXURE - 1

FORMS

FORM No.10

Registration Number: _____

Name of Vessel _____

Port of Registry _____

Year of Registry _____

Name of the Owner _____

Address of _____

Owner _____

DESCRIPTION OF INLAND VESSEL

Type of Vessel Cargo/Passenger etc. _____ Category _____

Gross Tonnage _____ Registered Tonnage _____

PARTICULARS OF VESSELS

Length overall _____

Breadth Extreme _____

Depth of underside of deck amid ships, at side _____

Builder Name and Address _____

Year of Built _____

Type of Hull wood, steel etc. _____

Number of Decks _____

No. of Bulk heads _____

TRANSACTION

Name of person from whom title is derived	No. of Shares affected	Date of and hour of Registry
---	------------------------	------------------------------

ENGINE

Internal combustion engine No. _____

Description _____

No. offsets _____

Made by _____

Year of Make _____

No. of cylinders per set _____

Diameter of cylinder in inches _____

Stroke in inches _____

N.H.P. _____ B.H.P. _____ I.H.P. _____

PROPULSION

Propeller Type: Single screw/ twin screw/ side quarter/Steerable Rudder propeller/Voith/Waterjet / OBMetc. _____

Revolution per minute(RPM) _____ Speed of Vessel _____

Propulsion geared or direct driven _____

Propulsion type: Oil engine / Electric / Battery/ Solar/ other (*strike off whichever is not relevant*)**REGISTERING AUTHORITY**

Date _____

SUBSEQUENT TO REGISTRATION

Nature & Date of transaction

Name, Residence and occupation

Number of transaction of Transferee
Mortgagee or other Person acquiring
title or power

FORM No. 11
Application for Registration

To
The Registering Authority,

I,

Resident of.....

being the Owner/Master of an Inland Vessel

hereby request that the said vessel be registered at the

I agree to pay such fees as may be payable under the Rules. Particulars in respect of the said Vessel is as under:-

1. Owner's name and address in full
2. Occupation
3. Name of Master and his Certificate No.
4. Name of Registry and No. if previously registered
5. When and how the vessel was secured
6. Kind of vessel, viz, motor, name and address of engine makers with horse power, speed and the year of make.
7. Name and address of builders with place and year of build.
8. Details of Insurance Certificate
9. Enclosures:-
 - a) A statement by the owner that the provisions of the Act and these rules have been complied with; A duplicate of the Certificate of Survey/ provisional certificate of survey;
 - b) Challan receipt evidencing payment of such fees as specified in the schedule for the registration of the vessel.
 - c) Copy of the 3rd party insurance certificate of the vessel duly attested.
 - d) Builder's certificate for new vessels
 - e) Instrument of sale (for second hand vessels)
 - f) Mortgage details (Form No. 19 and Form No. 20)
 - g) Declaration of Ownership (Form No. 12)

Place:

Date:

Signature of the Owner/ Master of the vessel

FORM No. 12

Declaration of Ownership

I/We____

residing permanently at _____

having original place of business at _____

do hereby declare that vessel named _____
was built at _____
in the year _____ and was purchased by me on _____
for rupees _____
and wish to have the same registered in my name at the port of _____ and that I am the owner of the same .

Signature of Owner

Made and subscribed the _____ day of _____ 20 _____ by the
Above named _____ in the presence of _____

Signature of Magistrate/ Notary Public/ Registering Authority

Note:- The declaration shall be made before a registering Authority, a Magistrate or a Notary Public.

FORM No. 13

Appointment of Date and Time of Inspection of the Inland Vessel By the Registering Authority

Dated:

Ref. No.:

To,

The Owner/Master on the Inland Vessel

Sir/Madam,

In acknowledging receipt of your application for registration of the vessel named above under Inland Vessel Act, 2021 this is to state that Registering Authority/Surveyor shall proceed on board the vessel at _____ hours on _____ day of _____, 20 ____.

You are requested to afford to the Registering Authority/ Surveyor all reasonable facilities for the registration of the Inland Vessel and all such information respecting the vessel as he may require for the purpose of registration.

Yours faithfully

Registering Authority

Inland Vessels

FORM No. 14

Carving and Marking Note

Dated:

Ref. No.:

To,

The Owner/Master on the Inland Vessel

Sir/Madam,

This has reference to your application for registration of the above named vessel and subsequent enquiry of the vessel conducted under Rule 6 of these Rules. You are advised to have the below enumerated marks carved on the vessel's hull as per Rule 9 of these Rules:

Name of the Vessel:

Official No. _____

Port of Registry: _____ Year of Registry: _____

You are further advised to contact this office after the completion of requisite carving (which in no case shall be greater than 15 days from the date of issue of this letter) for final inspection for the purpose of registering the vessel.

Please also be advised that you shall be required to surrender this carving note in original at the time of issuance of Certificate of Registry.

Yours faithfully

Registering Authority

Inland Vessels

FORM No. 15

Application for Registration of Alteration

To,

The Registering Authority,

Sir/Madam,

I, being the owner of inland vessel named Official No. _____ hereby report that the following alterations have been carried out on the vessel:

1. _____
2. _____
3. _____

I therefore, apply for registering the alterations / the issue of a fresh Registration Certificate. I enclose herewith a duplicate copy of treasury challan showing the deposit of the necessary fees.

I also enclose herewith the original certificate of Registration No.

Date _____

(SIGNATURE OF THE OWNER)

Alterations Verified by (Name and Signature of Surveyor)

Date:

FORM No. 16

Application for Transfer of Registry

To,

Registering Authority

I, _____ resident of _____

being the owner of an Inland Vessel Name _____ official No. _____ hereby request that the registry of the said vessel may kindly be transferred to

your register from the register of the Registering Authority of _____ in the state of _____.
The certificate of registration is enclosed herewith.

Treasury Challan for Rs. _____ is also enclosed.

Place:

Date: _____

SIGNATURE OF OWNER

FORM No. 17

CERTIFICATE OF REGISTRATION

PARTICULARS OF VESSEL

Issued by[details of Registering Authority]

Official Number	Name of the Vessel	No., Date and Port of Registry	No., Date and Port of Previous Registry (if any)
Whether Indian or Foreign Built	Whether self propelled Propulsion Type	Where Built	Name and address of Builders
Numbers of Decks	Length	Metres	
Stem	Breadth to outside of plating		
Stern	Moulded Depth		
Material Description	Length of engine – room (if any)		
Number of Bulkheads			

PARTICULARS OF PROPELLING ENGINES, & MACHINERY, as supplied by Builders, Owners, or Engine Makers

No. of sets of Engines	Description of Engines	Whether Indian or Foreign made	When made	Name and address of Makers	Reciprocating Engines		Rotary Engines	B.H.P. Estimated Speed of Vessel
					No. of cylinders in each set	Diameter of cylinders	No. of Cylinders in each set	
No. of Shafts		Engines		Engines	Engines			
					Length of Stroke			
Particulars of Boilers								

Description.....			
Number.....			
Loaded pressure.....			

PARTICULARS OF TONNAGE

The tonnages of this vessel in accordance with India Tonnage Certificate are: -

GROSS TONNAGEtons

NET TONNAGE tons

A detailed summary of the tonnages for this vessel is shown on the Certificate of Survey

--

The Number of crew for whom accommodation is certified

I, the undersigned, Registering Authority at the Port of..... in State here by certify that the Vessel the Description of which is prefixed to this my certificate, has been duly surveyed, and that the above Description is in accordance with the Register Book; that..... whose Certificate of Competency of Service is No....., is the Master of the said Vessel, and that the Name, Residence and Description of the Owner....., and Number of Tenth Shares Held by are as follows :-

Name Residence and Occupation of the Owner	Number of Tenth Shares

Date at..... theday of Two thousand and

.....Registering Authority

NOTICE: - A certificate of Registry is not a document of title. It does not necessarily contain notice of all changes of Ownership, and in no case does it contain an official record of any mortgages affecting the Vessel. In case of any change of ownership it is important for the protection of the interests of all parties that the change should be registered according to law. Changes of ownership, address or other registered particulars should be notified to the Registering Authority. Should the Vessel be either actually or constructively lost, taken by the enemy, burnt or broken up or cease for any reason to be an Indian Vessel notice thereof, together with the Certificate of Registry if in existence, should immediately be given to the Registering Authority at the Port of Registry under a Penalty which may extend to Rs. XXXX.

FORM No. 18**Instrument creating Mortgage**

Name of the Vessel _____ Official No. _____

Certificate of Registry No. _____ Place of Registry _____

Date of Registry _____

Description of the vessel (whether propelled by mechanical power):

_____ Horse power of Engine: _____

Hull (Length for identification.....)

Equipment:

Boats	Length	Breadth	Depth
No. 1			
No. 2			
No. 3			

Gross Registered Tonnage _____ Net Registered
Tonnage _____ and

described in more detail in the certificate of survey and book of registry.

I/We the undersigned (**Full Name & Address with description of mortgager or mortgagers**) in consideration of..... this day lent by (**Full name, address and Description of mortgagee. If joint mortgagees are concerned they shall be described, if the Mortgagee is a Company, the full title and address shall be given**).

Me / Us do hereby for **Myself / ourselves** and **my / our** heirs, executors or administrators covenant with the said **Firstly**, that (**Full Name & Address with description of mortgager or mortgagers**) or **my/ our** heirs, executors, or administrators, will pay to the said..... the said sum of.....together with interest thereon at the rate of _____ percent, per annum on the (**Insert day fixed for Payment of Principal Amount**) day of _____ next.

Secondly, that if the said principal sum is not paid on the said day (**Full Name & Address with description of mortgager or mortgagers**) or **my/our** heirs, executors or administrators, will during as the same or any part thereof remains unpaid, pay to the said..... interest on the whole or such part thereof as may for the time being remain unpaid, at the rate of _____ per cent per annum, by equal half-yearly payments on theday ofand..... Day of.....in every year; and for better securing to the said the re-payment in manner aforesaid of the said principal sum and interest.

I/We (**Full Name & Address with description of mortgager or mortgagers**) hereby mortgage to the

said.....shares of which the owner in the Inland vessel above particularly described, and in her boats, and appurtenances,

Lastly, I/We for **myself/ourselves** and **my/our** heirs, executors or administrators covenant with the said..... and his assigns that **I / We** have power to mortgage in manner aforesaid the above mentioned shares, and that the same are free from encumbrances (*If any prior encumbrances add, "save as appears by the book of registration of the said vessel"*).

In witness where of **I / We** have here unto subscribed **my / our** name and affixed (**full name and address with description of the mortgager or mortgagers**) seal this day of..... and Executed by the above named. In the presence of

Witness 1 (Name, Full Address and Signature, Seal)

Witness 2 (Name, Full Address and Signature, Seal)

Mortgage (By Company or Body Corporate) (to secure principal sum and interest)

Name of the Vessel..... Official No.....

Certificate of Registry No. Place of Registry.....

Date of Registry.....

Description of the vessel (whether propelled wholly or in part by electricity, steam or other mechanical power):
.....Horse power of Engine:Hull
(Length for identification.....)

Equipment:

Boats	Length	Breadth	Depth
No. 1			
No. 2			
No. 3			

Gross Registered Tonnage.....Net Registered Tonnage.....and as described in more detail in the certificate of survey and book of registry.

We, (**Name in full of Company together with its principal place of business**) in consideration of..... this day lent to us by (**Full name, address and description of mortgagee. If joint mortgagees are concerned they shall be described, if the mortgagee is a Company, the full title and address shall be given**) do hereby for ourselves and our successors covenant with the said and **his / theirs / its** assigns firstly, that we or our successors, will pay to the said..... or **his/theirs/its** assigns the said sum of..... together with interest thereon at the rate of per cent, per annum on the (**Insert the day fixed for payment of principal**) as above day of..... next; and

Secondly, that of the principal sum is not paid on the said day, we or our successors will, during such time as the same or any part thereof remains unpaid, pay to the said or **his/theirs/its** assigns interest on the whole or such part thereof as may for the time being unpaid, at the rate of..... per cent, per annum, by equal half-yearly payments on the..... day of..... and day of in every year; and for better securing the said..... the repayment in manner aforesaid of the said principal sum and interest we hereby mortgage to the said..... share/shares of which we are the Owners in the vessel above particularly described and in her boats and appurtenances.

Lastly, we for ourselves and our successors covenant with the said.....and **his / theirs/its** assigns that we have power to mortgage in manner aforesaid the above mentioned shares and that the same are free from encumbrances.(If any prior encumbrances add, “save as appears by the book of registration of the said vessel.”)

In witness whereof we have hereunto affixed our common seal this.....day of..... and the common seal of the.....was affixed hereunto in the presence of (Description of witnesses, Directors, Secretary as the case may be)

FORM No. 19

Instrument creating Transfer of Mortgage By Individual or Joint Owners

I / We the within-mentioned son of in consideration of this day paid to **Me / Us** by hereby transfer to **Him / Them /It** the benefit of the within written security.

In witness whereof **I/We** have here-un-to subscribed **My/Our** name and affixed **My / Our** Seal this.....Day of and Executed by the above-named.....in the presence of (*Name, address and signature of at least two witness*).

(By Company or Body Corporate)

The within-mentioned in consideration of..... this day paid to it by hereby transfer to **Him / Them /It** the benefit of the within-written security.

In witness whereof we have here unto affixed our common seal thisday of

This common seal of the was affixed in the presence of (Signature and description of at least two witnesses, Directors, Secretary etc. as the case may be.)

N.B. – In the case of transfer of mortgage it shall be made by endorsement in the above forms.

FORM No. 20

Instrument creating Discharge of Mortgage

In case of Mortgage is paid off, a Memorandum of its Discharge one of the following forms must be used.

By Individual or Joint Owners

Received the sum of.....in discharge of this within written security, dated at.....day of20.....

(*) The name and signature of atleast two witnesses.

By Companies or Body Corporate

Received the sum of.....in discharge of the within-written security.

In witness whereof we have here-un –to affix our common seal thisDay of..... 20..... at.....

The common seal of thewas affixed with presence of.....(Description and Signature of at least two witnesses i.e., Director, Secretary etc.)

FORM No. 21**Application for Provisional Certificate of Registration**

To

The Registering Authority

I,.....

Resident of.....

being the Owner/Master of an Inland Vessel

hereby request that the said vessel be Provisionally Registered and a Provisional Certificate of Registry issued at

for the reason(s)

I agree to pay such fees as may be payable under the Rules. Particulars in respect of the said Vessel are as under:-

1. Owner's name and address in full
2. Occupation
3. Name of Master and his Certificate No. (if applicable)
4. Name of Registry and No. if previously registered
5. When and how the vessel was secured
6. Kind of vessel, viz, motor, name and address of engine makers with horse power, speed and the year of make.
7. Name and address of builders with place and year of build.
8. Details of Insurance Certificate Enclosures:-
 - a) A statement by the owner that the provisions of the Act and these rules have been complied with; A duplicate of the Certificate of Survey;
 - b) Challan receipt evidencing payment of such fees as specified in the schedule for the registration of the vessel.
 - c) Copy of the 3rd party insurance certificate of the vessel duly attested.
 - d) Builder's certificate for new vessels
 - e) Instrument of sale (for second hand vessels)
 - f) Mortgage details (Form No. 19 and Form No. 20)
 - g) Declaration of Ownership (Form No. 12)

Place:

Date:

Signature of the Owner/ Master of the vessel

FORM No. 22**PROVISIONAL CERTIFICATE OF REGISTRATION***Expiry on or before the.....day of 20.... (see footnote 1)*

Issued by[details of Registering Authority]

PARTICULARS OF VESSEL

Name of the Vessel	Where Built	No. , Date and Port of Previous Registry (if any)	Whether self propelled/ Propulsion type
Name and address of Builders			
Numbers of Decks	Length Breadth to outside of plating		Metres

Stem	Moulded Depth	
Stern	Length of engine – room (if any)	
Material Description		
Number of Bulkheads		

PARTICULARS OF PROPELLING ENGINES, & MACHINERY, as supplied by Builders, Owners, or Engine Makers

Number of Engines:

Combined Power:

Name and address of the engine Maker:

PARTICULARS OF TONNAGE

The tonnages of this vessel in accordance with India Tonnage Certificate are: -

GROSS TONNAGEtons

NET TONNAGE tons

A detailed summary of the tonnages for this vessel is shown on the Certificate of Survey

--

The Number of crew for whom accommodation is certified

I, the undersigned, Registering Authority at the Port of..... in State here by certify that the Inland Vessel the Description of which is prefixed to this Provisional certificate, has been duly surveyed, and that the above Description is true; that..... whose Certificate of Competency of Service is No....., is the Master of the said Vessel, and that the Name, Residence and Description of the Owner....., and Number of Tenth Shares Held by are as follows :-

Name Residence and Occupation of the Owner	Number of Tenth Shares

Date at..... theday of Two thousand andRegistering Authority

NOTE 1: This Provisional Certificate of Registry, issued under the provisions of Section 27(2) of the IV Act 2021 continues to be in force only until the.....day of 20....